सहज™

वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-2018

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

सहज दूध का वादा, ताज़गी और भी ज़्यादा
सहज
Saahaj
छाछ
Buttermilk
Saahaj
Dahi
MADE FROM PASTEURISED TONER MILK
TASTIER HEALTHIER
Vitamin A
Helps in Preventing Night Blindness
Vitamin D
Supports Strong Bones
Saahaj
TAAZA
PASTEURISED
TONED MILK
पाश्च्युरीकृत टोन्ड दूध
दुग्ध उत्पादकों की अपनी कम्पनी
Saahaj
SLIM & SMART
PASTEURISED
SKIMMED MILK
पाश्च्युरीकृत स्किम्ड दूध
दुग्ध उत्पादकों की अपनी कम्पनी
Saahaj
FIT N FINE
PASTEURISED HOMOGENISED
DOUBLE TONED MILK
दुग्ध उत्पादकों की अपनी कम्पनी
Saahaj
GOLD
PASTEURISED
FULL CREAM MILK
पाश्च्युरीकृत फुल क्रीम दूध
दुग्ध उत्पादकों की अपनी कम्पनी
प्रदेश में पहली बार विटामिन A एवं D युक्त दूध

निदेशक मण्डल

श्री महेश चन्द्र (डी.आई.एन. 06965523)	अध्यक्ष एवं निदेशक
श्री दिग्विजय सिंह (डी.आई.एन. 06963747)	निदेशक
श्री चन्द्र पाल सिंह (डी.आई.एन. 06964687)	निदेशक
श्रीमती सुनीता (डी.आई.एन. 07081946)	निदेशक
श्री जवाहर लाल (डी.आई.एन. 07081926)	निदेशक
श्री मुरारी लाल (डी.आई.एन. 06966195)	निदेशक
श्रीमती अखिलेश (डी.आई.एन. 07051619)	निदेशक
श्री अनिल कुमार (डी.आई.एन. 07464066)	निदेशक
श्री रजनीश कुमार (डी.आई.एन. 07894245)	निदेशक
श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. 07894230)	निदेशक
श्री अजय कुमार खोसला (डी.आई.एन. 01854876)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री श्रीराम सिंह (डी.आई.एन. 06895219)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री वेंकटा राजू केसीराजू (डी.आई.एन. 06420949)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री ऋषिराज सिंह (डी.आई.एन. 07005277)	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कंपनी सचिव

श्री वरूण वर्मा

वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
गुरुग्राम, हरियाणा

बैकर्स

एच.डी.एफ.सी. बैंक, अलीगढ़
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आगरा
इंडसइंड बैंक, आगरा
एच.डी.एफ.सी. बैंक, दिल्ली
एच.डी.एफ.सी. बैंक, आगरा

पंजीकृत कार्यालय

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(सिन : U01403UP2014PTC066595)
क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com
Website : www.saahajmilk.com

आंतरिक अंकेक्षक

अरनेस्ट एण्ड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
गुरुग्राम, हरियाणा

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर्र एजेन्ट्स

लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा. लि.
44, कम्प्यूनिटी सेन्टर, द्वितीय तल,
नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस–1
पी.वी.आर. नारायणा, नई दिल्ली–110028

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष सन्देश	3
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	4–17
3.	स्वतन्त्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट	18–27
4.	वित्तीय विवरण 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक	
	(अ) आर्थिक चिट्ठा	28
	(ब) लाभ–हानि विवरण	29
	(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	30
	(द) नोट्स जो की वित्तीय विवरण का हिस्सा है	31–52
5.	पाँचवीं वार्षिक साधारण सभा का सूचना पत्र एवं सम्बन्धित अनुलग्नक	53–70

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी के मूल्य, ध्येय एवं दीर्घदृष्टि

मूल्य

★ ईमानदारी

★ दूरदर्शिता

★ गुणवत्ता

★ पारदर्शिता

★ टीम-भावना

★ साहस और जुनून

★ जागरूकता और जिम्मेदारियाँ सभी स्तर पर

★ समय तत्परता

ध्येय

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी अपने सदस्यों के दूध की प्रतिस्पर्धात्मक कीमत देते हुए और दूध उत्पादन बढ़ाने तथा लागत खर्च कम करने के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हुए उनके दूध व्यवसाय से अर्जित लाभ को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है।

दीर्घ दृष्टि

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी दूध व्यवसाय के क्षेत्र में देश की अग्रणी कम्पनी होगी तथा दूध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की पहली पसंद होगी।

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी अस्पष्टता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

अध्यक्ष संदेश

प्रिय शेयरधारक साथियों,

चतुर्थ वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिये सहज दुग्ध उत्पादक कम्पनी लिमिटेड के प्रदर्शन पर एक बार फिर से आप सभी सदस्यों को अवगत कराते हुये मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

पिछला वर्ष चुनौती पूर्ण होते हुए भी कम्पनी का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। कम्पनी ने रू. 773.19 करोड़ का कारोबार किया एवं रू. 6.59 करोड़ कर अदा करने के बाद रूपये 12.15 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

आपके निदेशकों ने लाभांश की अनुशंसा का प्रस्ताव पारित किया है, यह लाभांश उन सदस्यों को मिलेगा, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में 31 मार्च, 2018 की अवधि तक अंकित हुआ है।

कम्पनी ने अपने उन सक्रिय उत्पादक सदस्यों को रूपये 2.37 करोड़ का प्रोत्साहन दिया है। जिन्होंने सदस्यता के मानदण्डों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा किया है। कम्पनी ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें कम्पनी का उत्पादक सदस्य बनाना तथा उनकी आजीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिये छोटे डेयरी किसानों को प्रशिक्षित किया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कम्पनी ने राष्ट्रीय डेयरी योजना के प्रथम चरण के तहत 18.40 करोड़ किलोग्राम दुग्ध का उपार्जन किया है। इसके अतिरिक्त आहार संतुलन कार्यक्रम को किसान के घर तक पहुँचाने के लिये बड़े पैमाने पर प्रयास किये गये है। पशु चारा ''सहज सुदाना'' और चिलेटिड क्षेत्र विशेष मिनरल मिक्सचर ''सहज मिन'' को दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिये उपयोग में लाया गया है। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने 4,848 गाँव में उच्च गुणवत्ता वाली कृत्रिम गर्भाधान सेवायें प्रदान की है, और 600 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की सहायता से 3,21,204 कृत्रिम गर्भाधान किये गये है।

कम्पनी ने महिलाओं का प्रोत्साहन बढ़ाते हुये 31% महिला सदस्यता की भागीदारी दर्ज की है।

नये वित्तीय वर्ष में प्रवेश करते हुये हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम दुग्ध उपार्जन (प्रोक्योरमेंट) की मूलभूत संरचना को और मजबूत बनाये और सूचना तकनीकि प्रणाली पर आधारित दूध की खरीद और लेन–देन में अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता लाएं।

कम्पनी का पॉली पैक दूध और दुग्ध उत्पाद निरन्तर रूप से इसके वितरण क्षेत्र में लोकप्रिय हो रहे है। नये वित्तीय वर्ष में प्रवेश के साथ, कम्पनी अपने दुग्ध उत्पादों के विक्रय एवं विपणन संरचना को मजबूत करते हुये वितरण क्षेत्र के विस्तार का लक्ष्य रखती है। पॉली पैक दूध, छाछ, दही और घी जैसे बेहतर उत्पाद श्रेणी के साथ कम्पनी अपने वितरण क्षेत्र की लोकप्रिय ब्राण्डों में से एक बनने के मार्ग पर अग्रसर है, कम्पनी बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के दृढ़ संकल्प के साथ, अपने ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद, कम कीमतों पर उपलब्ध कराने और नए वितरण क्षेत्र में उद्यम करने के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

हम हमेशा आपके सुझावों और मार्गदर्शन का स्वागत करते है।

आपका विश्वसनीय
ह./–
महेश चन्द्र
अध्यक्ष

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को आपके समक्ष 31 मार्च, 2018 तक अंकेक्षित विवरण के साथ कंपनी के संचालन सम्बन्धी चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय प्रदर्शन

संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है :

रू. करोड़ में

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
कुल आय	773.19	497.99
खर्च सहित कुल लागत	754.45	495.18
कर से पूर्व लाभ/हानि	18.74	2.80
कर व्यय		
(1) **वर्तमान कर**	7.21	0.71
(2) **स्थगित कर**	(0.62)	0.30
कुल कर खर्च	6.59	1.01
लाभ/(हानि) कर के बाद	12.15	1.79

हमें यह सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने रू. 773.19 करोड़ के कारोबार के लक्ष्य को प्राप्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में कम्पनी का राजस्व 55.26 % की बढ़ोत्तरी के साथ रू. 773.19 करोड़ दर्ज हुआ है तथा पिछले वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व रू. 497.99 करोड़ था। पिछले वर्ष व्यय सहित कुल लागत रू. 495.18 करोड़ थी तथा इस वर्ष व्यय सहित कुल लागत रू. 754.45 करोड़ है। कर पूर्व लाभ रूपये 18.74 करोड़ का है तथा कर के बाद लाभ रूपये 12.15 करोड़ का है। अंश जिसका अंकित मूल्य रू. 100/– है, उसकी प्रति अंश आय रूपये 76.29 है जो कि कुल पूँजी रू. 18.56 करोड़ के आधार पर है।

सीमित लाभांश (डिविडेंड) :

दुग्ध उत्पादक कम्पनी ने अपने सदस्यों को अंश पूँजी पर हर साल लाभांश की घोषणा के साथ–साथ, वितरण भी किया है। कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ को ध्यान में रखते हुये 10 अगस्त, 2018 को आयोजित बोर्ड बैठक में रूपये 8/– प्रति अंश रू. 18.56 करोड़ की अंश पूँजी पर लाभांश का सुझाव दिया गया। सदस्यों की मंजूरी के अधीन, पाँचवी वार्षिक आम सभा में 31 मार्च, 2018 तक अंकित सदस्यों को लाभांश दिया जायेगा।

रूपये 8/– प्रति सामान्य अंश पर वित्तीय वर्ष में रूपये 1.79 करोड़ का लाभांश वितरण करने की घोषणा की है जिसमें रूपये 0.31 करोड़ का सीमित लाभांश कर सम्मिलित है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण :

कम्पनी अन्तर्नियम के प्रावधानों के अनुच्छेद तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581Z1 के तहत, निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के कर के बाद शुद्ध लाभ में से रू. 10.36 करोड़ की राशि को सामान्य संचय में स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव रखा है।

संचालन सिंहावलोकन :

दुग्ध उपार्जन :

कम्पनी ने 12 दिसम्बर, 2014 से 1,855 एमपीपी के साथ उत्तर प्रदेश के दस जिलों में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों की शुरुआत की थी। साढ़े तीन वर्ष के अन्तर्गत कंपनी का परिचालन 3,455 एमपीपी के साथ उपरोक्त जिलों में 2,924 राजस्व गाँवों में फैल गया हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने सदस्यों से औसतन 5.04 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध मात्रा की खरीद की। यह उम्मीद की जाती है कि एमपीपी के माध्यम से सदस्यों से ताजा दूध खरीदकर गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुये, कंपनी द्वारा दूध को एक लाभकारी मूल्य पर बेचने में सक्षम होगी, जिससे इसके सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी।

कम्पनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी उपार्जित प्रणाली के माध्यम से दूध का उपार्जन कर अपने सदस्यों का विश्वास प्राप्त कर लिया है और कंपनी शत प्रतिशत सदस्यों को उनके दुग्ध का भुगतान, बैंक खातों के माध्यम से 10 दिनों के चक्र में कर रही है। कम्पनी अपने सदस्यों को आपूर्ति किये गये दूध के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और लाभकारी मूल्य पर भुगतान करती है।

इसके अलावा सभी एमसीसी, बीएमसी और एमपीपी को (जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज) जीपीआरएस

के माध्यम से जोड़ दिया गया है और अपने सभी वीएलसी मार्ग वाहनों, आंतरिक टैंकरों और बाहरी टैंकरों को जीपीएस के माध्यम से जोड़कर दूध के परिवहन की प्रणाली को और मजबूत और पारदर्शी बनाया गया है।

भविष्य के लक्ष्य :

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड अपनी क्रियान्वित एमपीपी को मजबूत करने के लिए इनमें सदस्यों को बढ़ायेगी, कम औसत दुग्ध उपार्जन और कम सदस्यों वाली एमपीपी बन्द करेगी। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी 35% महिला सदस्यों के साथ 1.10 लाख सदस्यता वाली 3,100 एमपीपी संचालन और इसी प्रकार अपने सदस्यों से 6.05 लाख किलो दूध प्रतिदिन उपार्जन की उम्मीद करती है। कम्पनी द्वारा नये सदस्यों को जोड़ने के लिये सदस्यता नामांकन कार्यक्रम वर्ष में दो बार गर्मियों एवं फ्लश सीजन के मध्य में ही शुरू किया जायेगा। तद्नुसार, दूध उपार्जन में वृद्धि के लिए, कम्पनी परिचालन क्षेत्रों में अपने परिचालनों को पुर्न जीवित करने की प्रक्रिया में है।

बिक्री एवं विपणन :

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लि. ने अपने पॉली पैक दूध एवं अन्य दुग्ध उत्पादों को **''सहज''** ब्राण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2016 में बाजार में उतारा और तभी से अपने ब्राण्ड की लोकप्रियता एवं भौगोलिक पहुँच बढ़ाने हेतु अग्रसर है।

वित्तीय वर्ष में कम्पनी द्वारा पॉलीपैक दूध की 5,415 लीटर प्रतिदिन, छाछ 1,260 लीटर प्रतिदिन और दही 83 किलो प्रतिदिन की बिक्री दर्ज की और कम्पनी द्वारा 95 मैट्रिक टन घी अपने 22 डिस्ट्रीब्यूटर एवं 700 रिटेलर जो कि आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, मथुरा एवं वृन्दावन में स्थित है के द्वारा बेचा गया। कम्पनी हमेशा उच्च्य गुणवत्ता वाले दूध और दुग्ध उत्पादों को उपलब्ध कराने में विश्वास रखती है।

भविष्य के लक्ष्य :

दुग्ध और दुग्ध उत्पादकों की बिक्री में सुधार करने के लिए तथा नये बाजारों जैसे – खुर्जा, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में उद्यम करने और अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बनायी है। हम मौजूदा बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष गतिविधियाँ करेंगे जैसे कि सेल्स प्रमोटर्स द्वारा डोर टू डोर अभियान, टेस्ट सेम्पलिंग अथवा अन्य गतिविधियाँ जैसेकि एफएम रेडियो एवं समाचार पत्र द्वारा विज्ञापन।

दूध एवं दूग्ध उत्पाद :

कम्पनी अपने उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में निम्नलिखित एसकेयू में उत्पादों की उच्च गुणवत्ता प्रदान कर रही है।

प्रकार	वर्ग	संरचना (प्रतिशत) (न्यूनतम)	विभिन्न श्रेणियाँ
गोल्ड	फुल क्रीम	6% वसा/9% वसा रहित ठोस	500 मि.ली.
ताजा	टोन्ड दूध	3% वसा/8.5% वसा रहित ठोस	500 मि.ली.
फिट एन फाईन	होमोजोनाइज्ड डबल टोन्ड दूध	1.5% वसा/9% वसा रहित ठोस	500 मि.ली. तथा 200 मि.ली.
स्लिम एण्ड स्मार्ट	स्किम्ड दूध	0.5% वसा/8.8% वसा रहित ठोस	340 मि.ली. तथा 170 मि.ली.
चाय स्पेशल	होमोजिनाईज्ड डबल टोन्ड दूध	2.5% वसा/9% वसा रहित ठोस	500 मि.ली. तथा 200 मि.ली.

बटर मिल्क (छाछ) :

सहज छाछ ताजा होने के साथ–साथ स्वादपूर्ण भी है। सहज छाछ का उपयोग कढ़ी बनाने में भी किया जाता है। सहज छाछ 500 मिली. लीटर के पैक में उपलब्ध है।

दही :

सहज दही गाढ़ा और पौष्टिक है। इसका उपयोग दैनिक आहार में किया जा सकता है तथा यह विभिन्न व्यंजन बनाने में भी उपयोग में लाया जा सकता है। यह 200 ग्राम और 400 ग्राम के पैक में उपलब्ध है।

घी :

सहज घी ताजा होने के साथ–साथ दानेदार भी है। इसमें ब्रज भूमि की प्राकृतिक सुगंध है। यह 500 मिलीलीटर और 1 लीटर तथा 15 किलोग्राम के टिन में भी उपलब्ध है। इसका शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन किया जा रहा है।

सहज ब्राण्ड के अन्तर्गत अन्य उत्पाद :

पशु आहार ''सहज सुदाना''

वर्ष के दौरान कम्पनी अपने **''सहज सुदाना''** ब्राण्ड के अन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर संतुलित पशु आहार बी.आइ.एस.–II उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी ने वर्ष 2017–18 में 5469.28 मैट्रिक टन सहज सुदाना की बिक्री की है। इस प्रकार यह गत वर्ष की विक्रय की तुलना में 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण ''सहज मिन''

कम्पनी ने प्रतिस्पर्धा मूल्य पर अपने दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, उत्पादन और प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को ''सहज मिन'' ब्राण्ड के अन्तर्गत चिलेटेड क्षेत्र विशेष (पश्चिम–उ.प्र.) खनिज मिश्रण को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2017–2018 में 67.14 मैट्रिक टन सहज मिन की बिक्री की है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

विकास के साथ–साथ कम्पनी ने सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश बनाये रखा है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने सफलतापूर्वक सैप में जी.एस.टी. का कार्यान्वयन सम्पूर्ण किया है। बढ़ते हुये व्यापार संचालन को और मजबूत करने के लिए नये बुनियादी ढांचे जैसे – सर्वर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर इत्यादि का अधिग्रहण किया गया है।

कम्पनी ने अपने सभी एमपीपी में पुराने पेन ड्राइव आधारित डाटा प्रोसेसिंग यूनिट (डीपीयू) को जीपीआरएस सक्षम डीपीयू के साथ प्रतिस्थापित किया है जो प्रत्येक एमपीपी से जीपीआरएस के माध्यम से डेटा के वास्तविक समय संचरण को कंपनी के मुख्य कार्यालय में केन्द्रीय सॉफ्टवेयर में सक्षम बनाता है। केन्द्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी के सभी एमसीसी, बीएमसी, एमपपी में दूध संग्रह डेटा में कंपनी के सदस्यों को भुगतान करने में समय कम करने के लिए सक्षम है।

पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए कम्पनी का आई.टी. सिस्टम अपने सदस्यों को जैसे ही वे एमपीपी में दूध डालते हैं एसएमएस एलर्ट भेजता है, वितरक को दूध और दूध उत्पाद की बिक्री के लिए चालान बनने के बाद, और भुगतान की प्राप्ति के सम्बन्ध में पुष्टि के लिए एसएमएस अलर्ट भेजती है। नामांकन प्रक्रिया के बाद कंपनी ने अपने नए सदस्यों को, प्राप्त दूध की मात्रा के लिए सहायकों को, एमसीसी इंचार्ज को बीएमसी से भेजे दूध की मात्रा के लिये एसएमएस भेजना शुरू किया।

उत्पादक संस्था निर्माण :

दुग्ध उत्पादक कम्पनी ने उत्तर प्रदेश के 10 परिचालित जिलों में कम्पनी के सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें 35,000 सदस्यों ने हिस्सा लिया। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 35,000 दुग्ध उत्पादक किसान एवं महिला जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 20,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। महिला जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को विशेष रूप से उनके कार्य, जिम्मेदारियाँ एवं डेयरी क्षेत्र में उनकी सहभागिता और कम्पनी संचालन एवं अभिशासन विषय पर जागरूक किया गया।

दुग्ध उत्पादक कम्पनी ने ग्राम स्तर पर 5,109 सदस्यों को 1,900 एम.पी.पी. में ग्राम सम्पर्क समूह के रूप में चयनित किया तथा 2,285 सदस्यों का सदस्य सम्बन्ध समूह के रूप में निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त 2,783 ग्रामीण युवकों को ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम के तहत डेयरी व्यवसाय के महत्व एवं आजीविका के रूप में अपनाने के लिये प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया गया। ग्रामीण स्कूल के कुल 4,240 विद्यार्थियों को डेयरी क्षेत्र की जानकारी दी गई तथा साथ ही दूध एवं दुग्ध उत्पादन के महत्व के प्रति विशेष रूप से जागृत किया गया और कम्पनी द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

निदेशक मण्डल के उन्मुखीकरण के लिए बोर्ड के सदस्यों ने मतुपत्ती केरल में केरल पशुधन विकास बोर्ड लिमिटेड (केएल डीबी) की प्रतिष्ठित पशुधन परियोजना का दौरा किया जो कि पशु प्रजनन और पशुधन प्रबन्धक की अग्रिम तकनीकों को समझने के लिए एक इंडो–स्विस परियोजना है।

उप–परियोजना :

कम्पनी ने राष्ट्रीय डेयरी योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत तीन उप–परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया।

1. ग्राम आधारित दुग्ध उपार्जन पद्धति (वीबीएमपीएस)
2. आहार संतुलन कार्यक्रम (आरबीपी)
3. कृत्रिम गर्भाधान वितरण के लिये पायलेट मॉडल (एआई)

इन एस.पी.पी. को एन.डी.डी.बी. में पी.एम.यू. (प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट) द्वारा 31 मार्च, 2017 तक एन.डी.पी.–1 के तहत स्वीकृति दी गयी थी जिसे बाद में 2018–2019 तक बढ़ा दिया गया था।

कम्पनी एक एण्ड इम्पलीमेंटिग एजेन्सी के रूप में उप–परियोजना के तहत अपने परिचालन को उत्तर प्रदेश के दस परिचालित जिलों में लागू कर रही है।

ग्राम अधारित दुग्ध संकलन प्रणाली :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने 3,455 दुग्ध संग्रह द्वारा अपने सदस्यों से औसतन 5.04 लाख किलोग्राम दूध प्रतिदिन एकत्रित किया। कंपनी ने 35,000 किसानों को जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया था और इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर क्षेत्र प्रभारी, पी.आई.बी. अधिकारी तथा सुपरवाईजरों के द्वारा भी बैठक में दुग्ध उत्पादकों को कम्पनी के बारे में अवगत कराया। सभी दुग्ध अवशीतन केन्द्रों के स्टाफ, फील्ड स्टाफ, सहायकों व अन्य स्टाफ को गुणवत्ता, आश्वासन संचालन एवं रखरखाव टीम बिल्डिंग और नेतृत्व कौशल विकास पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

आहार संतुलन कार्यक्रम (आर.बी.पी.):

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसान के घर पर पशु पोषण पर सलाह दी जा रही है। जिसमें कम लागत पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य संसाधनों के कुशल उपयोग द्वारा दुधारू पशु के विकास, शरीर का रखरखाव, प्रजनन और दुग्ध उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए किसानों को पशु के इष्टतम भोजन पर शिक्षित करके आर.बी.पी. सलाहकार सेवायें दी जाती है। कम्पनी द्वारा उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए किसान सभाओं का आयोजन किया था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने 596 गाँवों में अपनी आर.बी.पी. सेवायें प्रदान की है और 9,459 किसानों/सदस्यों के 10,587 दुधारू पशुओं का पंजीकरण कर आरबीपी सलाहकार ने सेवायें दी थी।

व्यवहारिक कृत्रिम गर्भाधान वितरण के लिए पायलेट मॉडल :

कम्पनी इस परियोजना के अन्तर्गत देश में उपलब्ध उच्च आनुवंशिकी का उपयोग करते हुए उत्पादक के घर तक गुणवत्ता वाली ए.आई. सेवाओं को उत्पलब्ध करवाती है। जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले बछड़ी/बछड़ों का उत्पादन करना है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 4,848 गाँव में 600 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के द्वारा 3,21,204 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाया (42.7% गर्भादान दर या प्रथम कृत्रिम गर्भाधान के अनुसरण के आधार पर)।

गुणवत्ता :

कम्पनी सप्लाई चेन के दौरान गुणवत्ता प्रदान करती है। सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के दौरान कठोर प्रक्रियाओं एवं विश्लेषण तकनीक का पालन किया जाता है जिसमें कि दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की भौतिक रासायनिक और सूक्ष्म जैविक जाँच भी शामिल है।

हमारे दुग्ध अवशीतन केन्द्र, दूध की रासायनिक एवं जैविक गुणवत्ता की जाँच करने के साथ ही किसी भी प्रकार की मिलावट की जाँच करने हेतू पूर्ण रूप से विकसित एवं सुसज्जित है। कम्पनी ने अपने सभी अवशीतन केन्द्रों पर अत्याधुनिक एवं उच्च विश्लेषणात्मक उपकरण जैसे कि सोडियम मीटर, वोरटैक्स शेकर्स, डिजीटल बी.आर.मीटर, दुग्ध विश्लेषक, आर.एम. परीक्षण सुविधा, रैमी सेट्रीफ्यूज की सुविधा भी उपलब्ध करायी है।

गत वित्तीय वर्ष कंपनी ने दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता के लिए प्रयोगशाला प्रभारियों, कैमिस्टो, गुणवत्ता कर्मियों को अनेक प्रशिक्षण दिये गये। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हम उन्हें दुग्ध परीक्षण प्रक्रियाओं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मानदंडों, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा, अच्छी उत्पादन कार्यप्रणाली, स्वच्छ दूध उत्पादन, अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं आदि के विषय में सम्पूर्ण जानकारी देते है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी ने एक मजबूत गुणवत्ता तंत्र स्थापित किया हुआ है।

निदेशक :

श्री अजय कुमार खोसला को 4 मई, 2017 को कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के पद पर दो साल की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया गया।

श्री सोमेन बिस्वास कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक ने 25 अगस्त, 2017 को बोर्ड से इस्तीफा दिया था। श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री शिव सिंह तथा श्री हरपाल सिंह 16 सितम्बर, 2017 को कम्पनी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुये थे। निदेशकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बोर्ड उनकी प्रशंसा करता है।

श्री रजनीश कुमार और श्री शिव प्रताप को 16 सितम्बर, 2017 को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था।

श्री वेनकटा राजू केसीराजू को 12 मार्च, 2018 को कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के पद पर दो साल की अवधि के लिये नियुक्त किया गया था।

बोर्ड की बैठकें :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार के लेन–देन के लिए समय–समय पर बोर्ड की बैठक होती है और गतवर्ष के दौरान चार बोर्ड बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गयी।

बोर्ड बैठकों की क्र.स.	बोर्ड बैठकों की तिथि	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थिति निदेशक
16 वीं बोर्ड बैठक	17 जून, 2017	15	12
17 वीं बोर्ड बैठक	16 अगस्त, 2017	15	14
18 वीं बोर्ड बैठक	20 नवम्बर, 2017	13	12
19 वीं बोर्ड बैठक	12 मार्च, 2018	13	13

निदेशक मण्डल की संरचना और निदेशकों की नियुक्ति :

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.5 में सदस्यों के संरक्षक एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में जहाँ तक संभव हो सके सम्बन्धित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षक के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये है। तीन विभिन्न वर्गों, श्रेणी–ए, श्रेणी–बी तथा श्रेणी–सी में संरक्षण के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कम्पनी की प्रथम वार्षिक आम सभा में जो 11.12.2014 को हुई थी में अनुमोदित किया गया था।

आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में संरक्षक के मानदण्ड पूरे करने अथवा नहीं करने पर यह पाया गया है कि कुल सदस्यों में से 20.62 प्रतिशत सदस्यों ने ही अपनी श्रेणी के आधार पर 31 मार्च, 2018 को दिये गये संरक्षण के मानदण्डों को पूरा किया है। इसी प्रकार 20.62 प्रतिशत सदस्यों में से क्रमशः 28.73 प्रतिशत श्रेणी ए, 24.12 प्रतिशत श्रेणी बी तथा 47.15 प्रतिशत श्रेणी सी के सदस्य हैं। ए, बी एवं सी के मध्य उनके द्वारा आपूर्ति किये गये दुग्ध की मात्रा का अनुपात प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान क्रमशः 68%, 15% और 17% था। इसी प्रकार बोर्ड की संरचना में सभी वर्गों को संरक्षता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमशः श्रेणी ए में 7, श्रेणी बी में 2 तथा श्रेणी सी में 2 निदेशक होते है। कम्पनी अनुच्छेद 9.5 की आवश्यकताओं को निम्नलिखित प्रकार से पूरा करती है :–

श्रेणी ए के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड के चार निदेशक श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कम्पनी के अर्न्तनियम के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार कम्पनी के निदेशक श्री महेश चन्द्र, जो ''श्रेणी ए'' का

प्रतिनिधित्व करते हैं, कंपनी की आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे।

नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर बोर्ड ने श्री उपेन्द्र सिंह ''श्रेणी ए'' के प्रतिनिधि को ''श्रेणी ए '' के रिक्त पद पर नियुक्त करने का सुझाव दिया है। नियुक्त होने वाले निदेशकों के नाम और योग्यता का वर्णन कंपनी की पाँचवीं वार्षिक आम सभा के नोटिस में संलग्न किया गया है।

संरक्षण मानदण्डों के आधार पर वर्ग प्रतिनिधित्व के अनुसार, ''श्रेणी–ए'' के एक निदेशक का पद रिक्त है।

श्रेणी बी के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड के 2 निदेशक, ''श्रेणी–बी'' का प्रतिनिधित्व करते है। इसलिए पाँचवीं वार्षिक आम सभा में ''श्रेणी बी'' में कोई सेवानिवृत्ति/चुनाव नहीं है।

श्रेणी सी के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड के 4 निदेशक ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कम्पनी के अर्न्तनियम 9.6 के अनुसार श्रीमती अखिलेश और श्रीमती सुनीता, ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करती है, वह कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगी।

नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर बोर्ड ने श्री रवि कुमार दीपक एवं श्री राजकुमार शर्मा को जो ''श्रेणी ए'' के प्रतिनिधि है, ''श्रेणी ए'' में रिक्त पदों पर नियुक्त करने का सुझाव दिया है। नियुक्त होने वाले निदेशकों के नाम और योग्यता का वर्णन कंपनी की पाँचवीं वार्षिक आम सभा के नोटिस में संलग्न है।

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अनुसार, कंपनी में ''श्रेणी–ए'' के 6, ''श्रेणी–बी'' के 2 एवं ''श्रेणी–सी'' के 2 निदेशक हो जायेंगे, यदि आगामी वार्षिक आम सभा में प्रस्तावित नियुक्ति का अनुमोदन होता है।

सदस्यता एवं अंश पूँजी :

31 मार्च, 2018 को कम्पनी की प्रदत्त पूँजी रूपये 18.56 करोड़ थी और 60,901 सदस्य थे जिनका नाम कम्पनी के अंशधारकों के रजिस्टर में अंकित था।

31 मार्च, 2018 के पश्चात् कम्पनी में 20,657 नये सदस्यों को जोड़ा गया और 12,871 सदस्यों की सदस्यता

मानदंडों को पूरा ना करने के कारण तथा सदस्यता के निरस्त/आत्मसमर्पण करने के कारण रद्द कर दी गई है। तत्पश्चात् इस रिपोर्ट की तारीख तक कम्पनी के कुल सदस्यों की संख्या 68,687 है।

वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति एवं मतदान अधिकार :

आज की दिनांक में 68,687 सदस्य में से,

- 12,344 सदस्यों (जिसमें श्रेणी ए, श्रेणी बी एवं श्रेणी सी के सदस्य शामिल है) जिन्होंने सम्बन्धित वर्ग के संरक्षण के सभी मानदण्डों को पूर्ण किया है उन्हें पाँचवीं वार्षिक साधारण आम सभा में सभी प्रस्तावों पर मतदान करने का अधिकार है।(उनसे सम्बन्धित अपने श्रेणी के निदेशक के चुनाव पर मतदान सहित)

- 6,713 सदस्य जिन्हें पाँचवीं वार्षिक साधारण आम सभा में सभी प्रस्तावों पर मतदान देने का अधिकार है (परन्तु सम्बन्धित श्रेणी के निदेशक के चुनाव पर मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है) क्योंकि उन्होंने संरक्षण से सम्बन्धित मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया है परन्तु गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में कम्पनी में न्यूनतम दिन और लीटर दूध की आपूर्ति की है।

- 49,630 ऐसे सदस्य है जो पाँचवीं वार्षिक साधारण आम सभा में उपस्थित होने के योग्य है, परन्तु जिन्हें पाँचवीं वार्षिक आम सभा में प्रस्तावों पर मतदान करने का अधिकार नहीं है।

31 मार्च, 2018 के पश्चात जोड़े गये सदस्यों को लाभांश के साथ–साथ पाँचवीं वार्षिक आम सभा में मतदान के हकदार भी नहीं होंगे।

वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन :

वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2018 के समाप्त होने के बाद कंपनी के व्यापार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

व्यवसाय के स्वरूप में बदलाव :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2 AA) के अन्तर्गत कंपनी के निदेशक सदस्यों को यह सूचना देते है :

क. वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का अनुपालन भौतिक प्रस्तान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें निरन्तर लागू किया है जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त है कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2018 के अन्त में कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ का सही एवं उचित विवरण प्रस्तुत करते है।

ग. कम्पनी के निदेशकों द्वारा कंपनी की सुरक्षा के साथ छल–कपट/धोखेबाजी को रोकने एवं बचत हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके रखरखाव में आवश्यक एवं उचित सावधानी बरती है।

घ. कम्पनी के निदेशकों द्वारा वार्षिक खातों को प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार करवाया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :

कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उचित जगह पर है जो कि यह सुनिश्चित करती है कि कम्पनी में सभी परिसम्पत्तियों और लेन–देन को सही ढंग से संरक्षित, अधिकृत किया गया है तथा उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई।

आंतरिक लेखा परीक्षक :

कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा मैसर्स अरनेस्ट एण्ड यंग द्वारा किया गया। अरनेस्ट एण्ड यंग, एल.एल.पी. चार्टड एकाऊटेंट्स, आंतरिक लेखा परीक्षक ने स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का बहुसंख्य में लेन–देन का मूल्यांकन किया। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZF आंतरिक लेखा परीक्षा के अनुपालन के अन्तर्गत पूर्ण करती है।

लेखा परीक्षक :

कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक, मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी चार्टड एकाउन्टेण्ट्स का कार्यकाल आगामी वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति के साथ खत्म हो जाएगा तथा योग्य होने पर पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखा है। कम्पनी के अंकेक्षकों से इस आशय में प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है कि यदि उनकी पुनः नियुक्ति

होती है तो वह कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (1) के प्राविधानों के अनुसार होगी।

आपके निदेशक मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी आम सभा में नियुक्ति करने की अनुशंसा करते हैं।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट :

अंशधारकों के लिए दी गई लेखा परीक्षक की रिपोर्ट व्याख्यात्मक है और इसमें कोई आरक्षण, योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

कर्मचारियों का विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2A) को कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पढ़ा जाये, का अनुसरण करते हुए समीक्षाधीन अवधि में किसी भी कर्मचारी ने किसी भी स्थिति में पारिश्रमिक के रूप में कुल मिलाकर रू. 60 लाख वार्षिक अथवा रू. 5 लाख प्रतिमाह से अधिक राशि प्राप्त नहीं की है।

कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सी.एस.आर.) :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के संदर्भ में, कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXए के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर यथोचित रूप से लागू होंगे, जैसे कि कम्पनी अधिनियम, 1956 निरस्त नहीं किया गया, जब तक उनके लिए एक विशेष अधिनियम नहीं बनाया जाता है। उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 15 नवम्बर, 2016 और 2 जून, 2017 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के लिए कम्पनी ने कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA), नई दिल्ली के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व दाखिल किया है। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से स्पष्टीकरण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर सी.एस.आर. के प्रावधानों का अनुपालन प्रारम्भ किया जायेगा।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनियम आय एवं निकासी :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) कंपनी अधिनियम, 1956 एवं कंपनी की धाराओं के अनुसार (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के विवरण का स्पष्टीकरण) नियम 1988 के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार जानकारी इस प्रकार है :–

1. ऊर्जा प्रोद्योगिकी के संरक्षण से सम्बन्धित भाग ए और भाग बी के नियम अभी हमारी कम्पनी पर लागू

नहीं होते।

2. विदेशी विनिमय से आय तथा निकासी – आय, शून्य, निकासी – शून्य।

सामान्य कार्यालय और बिजली प्रयोजनों को छोड़कर कंपनी की कोई बिजली खपत नहीं है।

आभार :

कंपनी का निदेशक मंडल इस अवधि में समीक्षा के दौरान अपने सदस्यों और व्यापारिक सहयोगियों के योगदान की सराहना व्यक्त करना चाहता है। साथ ही बैंक कर्मचारियों, वैधानिक व आंतरिक अंकेक्षकों द्वारा सहयोग देने के लिए सभी का धन्यवाद करता है।

निदेशक मण्डल नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड, डेयरी सर्विसेस, मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबिल प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग देने के लिए उनका आभार व्यक्त करते है।

वास्ते निदेशक मण्डल
ह./–
महेश चन्द्र
अध्यक्ष एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 06965523

दिनांक : 10 अगस्त, 2018
स्थान : आगरा

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

सदस्यों के लिए स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2018 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में प्रबंधन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में वर्णित लेखामानकों तथा आमतौर पर भारत में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कम्पनी के प्रबंधकों का दायित्व कम्पनी के वे सभी वित्तीय विवरण तैयार करना है। जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता तथा रोकड़ प्रवाह की सही जानकारी प्रदान करते हों, जो कि कम्पनी लेखांकन (नियम) 2014, (जो कि भारत में स्वीकार्य है) लेखांकन सिद्धांतों, जो कि अधिनियम की धारा 133 में वर्णित हैं, के अनुरूप कम्पनी नियमावली (लेखा मानक 2006 के अनुसार स्वीकार्य है।)

इसमें वे सभी दायित्व सम्मिलित हैं जो अधिनियम के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है, जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखों की सही जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों (जिसमें कि लेखांकन सिद्धांतों का सही चुनाव और क्रियान्वयन, उचित और तर्कसंगत अनुमान लगाना और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से सम्बन्धित एक प्रक्रिया बनाना, उसे लागू करना और उसे बनाये रखना शामिल है।) जिसमें एक उचित व पारदर्शी वित्तीय विवरण तैयार हो सके।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षण के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षक के मानकों एवं अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों एवं अधिनियम की धारा 143(11) के तहत् आदेश के अनुसार, अंकेक्षक रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले विषय को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) द्वारा अंकेक्षण पर जारी मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। इन मानकों के लिये आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हुए अंकेक्षण की योजना तथा

उसका निष्पादन इस प्रकार करें जिससे इस बात के लिए आश्वस्त किया जा सके कि वित्तीय लेखे सभी प्रकार के गलत तथ्यात्मक कथनों से मुक्त हैं।

अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकाशित तथ्यों के अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। अंकेक्षण के लिए चयनित प्रक्रिया अंकेक्षण के स्व–विवेक एवं निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के सन्दर्भ में कपटपूर्ण या गलती से दिए गए गलत तथ्यात्मक कथनों से सम्बंधित जोखिम की मात्रा का अनुमान लगाना भी शामिल है। ऐसी परिस्थितियों के लिए आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रिया तैयार करने हेतु अंकेक्षण इस प्रकार की जोखिम का निर्धारण करने के लिए कम्पनी के उन सभी आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है जो कम्पनी के वित्तीय लेखे तैयार कर उसके उचित प्रस्तुतीकरण करने में आवश्यक है। परन्तु कम्पनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपने विचार प्रकट करने का उद्देश्य नहीं है। साथ ही अंकेक्षकों का उद्देश्य लेखांकन के लिए प्रयोग की जा रही नीतियों की औचित्यता तथा प्रबंधन के लेखांकन अनुमानों की तार्किकता के साथ–साथ लेखों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य अंकेक्षण पर राय प्रकट करने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

राय

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, मार्च, 2018 को कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा, वर्ष समापन की तिथि को लाभ–हानि खाता और वर्ष समापन की तिथि को रोकड़ प्रवाह खाता, आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप, अधिनियम के अंतर्गत सत्य एवं निष्पक्ष सूचनायें देते हैं।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार हैः–

(अ) हमने वे सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये गये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(ब) हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें है जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।

(स) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(द) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप है।

(य) 31 मार्च, 2018 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मण्डल के 31 मार्च, 2018 को रिकार्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

(र) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट ''अनुलग्नक अ'' को देखें। हमारी रिपोर्ट बिना किसी बदलाव के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की उपयुक्तता तथा परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रकट करती है।

(ल) कम्पनीज (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाऐं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार –

1. कम्पनी के विरूद्ध ऐसा कोई भी विवाद जारी नहीं है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता हो। वित्तीय विवरण के नोट 28 के क्रम में।

2. कम्पनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबन्ध नहीं है जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियाँ हो।

3. कम्पनी के द्वारा निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है।

2. अधिनियम की धारा 143 (11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्दों पर विवरण ''अनुलग्नक ब'' में दिया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA की धारा 581ZG में वर्णित मुद्दों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के अनुसार, कम्पनी अधिनियम के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर लागू होंगे जिस प्रकार अधिनियम, 1956 में लागू थें जब तक कि उन्हें निरस्त नहीं किया जाता) पर हमनें विवरण ''अनुलग्नक स'' में दिया है।

कृते एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(Registration No. 101496W)

ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 10 अगस्त, 2018

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (अ)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 (f) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (I) के तहत वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2018 को सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्डों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकांउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हें लागू करना तथा उन्हें बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों का पालन, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख (''दिशानिर्देश लेख'') तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागू होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशा निर्देश चाहते है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख–रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाऐं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के लिए हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो (1) लेखा के रखरखाव से सम्बन्धित है, उपर्युक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्टि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबन्धकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे है तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारे में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते है और जिनका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिणाम को दूषित कर सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी उपयुक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2018 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

कृते एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(Registration No. 101496W)

ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 10 अगस्त, 2018

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (ब)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अन्तर्गत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट)

(i) कम्पनी की अचल संपत्तियों के सम्बन्ध में :–

अ. कम्पनी ने अचल संपत्तियों का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिए उचित अभिलेख बना रखे हैं।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन एक नियमित सत्यापन कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें संपत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु दिया गया अंतराल हमारी राय में सही है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

स. हमें प्रदान की गई सूचनाओं एवं दिये गये स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा लेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार कम्पनी के नाम कोई भी भूमि व भवन नहीं है इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (i) (c) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(ii) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन द्वारा स्टॉक का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया है तथा भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

(iii) कम्पनी ने किसी भी कम्पनियों, फर्मों, सीमित दायित्व फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के रजिस्टर में आवृत किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

(iv) कम्पनी ने किसी भी प्रकार का कोई ऋण, निवेश एवं गारंटी प्रदान नहीं की है इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (iv) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(v) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने किसी भी प्रकार की कोई सार्वजनिक जमायें स्वीकार नहीं की है, इसलिए CARO 2016 के अनुचछेद (v) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vi) कम्पनी के व्यवसाय तथा क्रियाओं की प्रकृति को देखते हुए, CARO 2016 के अनुच्छेद (vi) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vii) वैधानिक देय के सम्बन्ध में हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :–

अ. कम्पनी नियमित रूप से निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे भविष्य–निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवाकर, वैट, सेस, वस्तु एवं सेवाकर तथा अन्य कोई भी कम्पनी पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों आदि का उपयुक्त अधिकरण को नियमित भुगतान करती रही है। हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी द्वारा इस वर्ष के दौरान किये गये कार्यों के कारण किसी भी प्रकार का कोई सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क जैसा कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।

ब. 31 मार्च, 2018 को ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस, वस्तु एवं सेवाकर तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय, जिसको भुगतान की जाने की तारीख से 6 माह हो गये हो।

स. आय कर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं वैट की ऐसी कोई भी राशि 31 मार्च, 2018 को देय नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया हो।

(viii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की ऋण या उधार की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की हैं। कम्पनी ने सरकार से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है एवं ना ही कोई ऋण–पत्र (डिबेंचर) जारी किये हैं।

(ix) कम्पनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) या अवधि ऋण से किसी भी प्रकार की राशि एकत्र नहीं की है।

(x) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण एवं हमारी जानकारी के अनुसार कम्पनी ने अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा कम्पनी पर किसी भी प्रकार का कोई धोखेबाजी का आरोप इस वर्ष के दौरान ना ही सामने आया है और ना ही रिपोर्ट किया गया है।

(xi) कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है, इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

(xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xii) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xiii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी

अधिनियम 2013 की धारा 177 तथा 188 का अनुपालन किया है। जहाँ भी लागू हों, सम्बन्धित पक्षकारों के सभी व्यवहारों तथा सम्बन्धित पक्षकारों के सम्पूर्ण विवरणों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है जोकि लागू होने वाले लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक है।

(xiv) कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA में पंजीकृत है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xiv) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xv) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के कोई गैर–नकदी व्यवहार नहीं किये गये हैं अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–IA के तहत् कम्पनी को पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

कृते एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(Registration No. 101496W)

ह./
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 10 अगस्त, 2018

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (स)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट)

1. विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ों की नोट संख्या 17 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियाँ प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं है।

2. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबन्धन द्वारा वर्ष के अंत में हस्तगत रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया है तथा इस तरह के सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई भी विसंगति नहीं पाई गई है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गयें स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की निवेशिय प्रतिभूतियाँ नहीं है।

3. 31 मार्च, 2018 को संपत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार है।

4. हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया है जो की कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान के विरूद्ध हो।

5. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

6. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।

कृते एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(Registration No. 101496W)

ह./
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 10 अगस्त, 2018

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च, 2018

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
A-	शेयर और देयताएं			
	1. अंश धारक कोष			
	(a) अंश पूँजी	3	1856,65,000	153,339,100
	(b) प्रारक्षित निधि और अधिशेष	4	25,71,17,254	150,398,491
			44,27,82,254	303,737,591
	2. अंश पूँजी के आवेदन लम्बित आवंटन		2,61,000	8,019,700
	3. अस्थिगत अनुदान	5	14,54,93,244	190,229,696
	4. अंतरल देयताएं			
	(a) दीर्घ अवधि प्रावधान	6	–	141,068,550
	(b) दीर्घ अवधि समायोजन	7	8,96,48,528	85,106,108
	(C) प्रारक्षित निधि और अधिशेष	8	1,17,84,146	9,083,399
	(d) शुद्ध स्थगित कर दायित्व	14	–	1,501,187
			10,14,32,674	236,759,245
	5. तरल देयताएं			
	(a) लघु अवधि की उधारी	9	98,40,82,609	868,177,643
	(b) व्यापारिक देनदार	10	33,31,59,673	227,352,809
	(C) अन्य तरल देयताएं	11	2,21,09,593	50,069,310
	(d) लघु अवधि प्रावधान	12	5,51,79,390	1,418,859
			1,39,45,31,264	1,147,018,621
		योग	**2,08,45,00,437**	**1,885,764,853**
B-	आस्तियां			
	1. अंतरल आस्तियां			
	(a) अचल आस्तियां			
	(i) मूर्त आस्तियां	13(a)	35,24,25,646	427,311,440
	(ii) अमूर्त संपत्ति	13(b)	1,87,45,525	24,549,138
	(b) आभासी कर आस्तियां (कुल)	14	46,86,180	–
	(C) दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम	15	2,31,53,774	23,072,306
			39,90,11,125	474,932,884
	2. तरल आस्तियां			
	(a) रहतिया	16	5,32,70,675	44,824,077
	(b) व्यापारिक देनदार	17	1,28,96,00,909	907,947,854
	(C) रोकड़ और रोकड़ समरूप	18	32,58,13,629	425,417,719
	(d) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	19	82,03,690	23,902,536
	(e) अन्य चल आस्तियां	20	86,00,410	8,739,784
			1,68,54,89,311	1,410,831,970
	कुल योग		**2,08,45,00,437**	**1,885,764,853**

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 10 अगस्त, 2018

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
महेश चंद्र
निदेशक

ह./–
डॉ. ऋषिराज सिंह
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वरिष्ठ वित्त प्रबंधक

स्थान : आगरा
दिनांक : 10 अगस्त, 2018

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

लाभ हानि खाता समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2018

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
1.	व्यावसायिक गतिविधियों से आय	21	7,71,15,83,065	4,960,675,057
2.	अन्य आय	22	2,02,72,612	19,160,018
3.	कुल आय (1+2)		7,73,18,55,676	4,979,835,075
4.	**खर्चे**			
	(a) व्यावसायिक स्टॉक की खरीद	23	7,04,84,19,593	4,530,915,960
	(b) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव	24	(1,31,74,709)	(4,341,000)
	(C) कर्मचारियों से सम्बन्धित खर्चे	25	5,98,30,377	65,038,312
	(d) व्यावसायिक लागत	26	7,55,00,667	57,155,882
	(e) ह्रास खर्चे	13	5,80,96,059	49,179,982
	(f) अन्य खर्चे	27	31,57,87,868	253,871,962
	कुल खर्चे		7,54,44,59,854	4,951,821,100
5.	कर से पूर्व आय (3–4)		18,73,95,822	28,013,975
6.	कर सम्बन्धी खर्चे			
	(a) वर्तमान कर		7,21,00,000	7,100,000
	(b) स्थगित कर (कुल)		(61,87,368)	3,012,916
	कुल कर खर्चे		6,59,12,632	10,112,916
7.	सम्बन्धित वर्ष का लाभ (5–6)		12,14,83,190	17,901,060
8.	प्रति अंश आय	31		
	(Nominal value Rs. 100 per share)			
	(a) बेसिक		76.29	17.52
	(b) डायलूटेड		76.17	17.51

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
महेश चंद्र
निदेशक

ह./–
डॉ. ऋषिराज सिंह
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वरिष्ठ वित्त प्रबंधक

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 10 अगस्त, 2018

स्थान : आगरा
दिनांक : 10 अगस्त, 2018

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

रोकड़ प्रवाह खाता

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
A.	व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
	कर से पूर्व लाभ	18,73,95,822	28,013,975
	समायोजन		
	ब्याज से आय	(1,73,25,355)	(14,721,337)
	व्यावसायिक लागत	7,54,63,462	57,150,135
	कर्मचारी हित खर्चे	32,41,209	4,095,934
	ह्रास खर्च	–	519,273
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	5,80,96,059	49,179,982
	कार्यशील पूँजी में बदलाव से पूर्व व्यावसायिक लाभ	**30,68,71,197**	**124,237,963**
	कार्यशील पूँजी में समायोजन		
	रहतिये में वृद्धि	(84,46,598)	(10,402,232)
	व्यावसायिक लेनदारों में वृद्धि	(38,16,53,056)	149,966,815
	दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(1,75,000)	(324,776)
	लघु अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	1,56,98,847	(16,128,688)
	व्यावसायिक देनदारों में वृद्धि	45,42,419	26,607,195
	अन्य चल देयताओं में वृद्धि	10,58,06,864	(19,183,000)
	व्यवसाय से रोकड़ प्राप्ति	29,71,588	7,247,355
	कुल आयकर भुगतान	**4,56,16,261**	**247,525,923**
	व्यवसाय गतिविधियों से कुल रोकड़ प्राप्ति	(2,11,23,884)	(41,797,663)
		2,44,92,377	**205,728,260**
B.	**निवेश से रोकड़ प्राप्ति**		
	बैंक शेष, रोकड़ नहीं है	(3,96,86,822)	127,845,723
	अचल आस्तियों की खरीद	(2,27,33,672)	(89,310,132)
	ब्याज प्राप्ति	1,74,64,730	13,618,432
	निवेश में व्यय कुल रोकड	**(4,49,55,764)**	**(52,154,023)**
C.	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्राप्ति**		
	समता अंश पूँजी जारी करने से प्राप्त राशि	2,43,06,200	60,017,870
	शेयर आवेदन के पैसे प्राप्त	2,61,000	8,019,1700
	लम्बे समय तक उधारी से प्राप्त आय	(17,27,37,000)	35,074,000
	नेट वृद्धि/(कमी) कार्यशील पूँजी उधारी में	11,59,04,966	(128,497,540)
	लाभांश कर सहित भुगतान	(1,41,51,231)	(11,448,614)
	वित्तीय लागत का भुगतान	(7,24,11,459)	(60,711,685)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्राप्ति	11,88,27,525	104,410,798
	Net increase/(decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	13,92,90,912	107,546,269
	वर्ष के शुरू में रोकड़	16,62,80,985	15,944,971
	वर्ष के समाप्ति में रोकड़	**2,69,90,073**	**166,280,985**
	रोकड़ में सम्मिलित		
	बैंक करंट अकाउंट	2,69,90,073	166,280,985
	कुल रोकड़ प्रवाह	2,69,90,073	166,280,985
	जोड़ें: नकद और नकद समतुल्य रूप में नही माना बैंक बैलेंस	29,88,23,556	259,136,734
	नकद और नकद समकक्ष आर्थिक चिट्ठा के अनुसार (17 नोट)	**32,58,13,629**	**425,417,719**

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 10 अगस्त, 2018

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
महेश चंद्र
निदेशक

ह./–
डॉ. ऋषिराज सिंह
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वरिष्ठ वित्त प्रबंधक

स्थान : आगरा
दिनांक : 10 अगस्त, 2018

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग है।

1. कम्पनी के बारे में

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के अंतर्गत दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को गठित है।

कम्पनी उत्तर प्रदेश के गाँवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केन्द्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर कच्चे दूध का विक्रय मदर डेरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड को करती है। कम्पनी पौली पैक दूध (PPM), घी, पशु आहार एवं वीर्य का क्रय एवं विक्रय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैं :

(अ) लेखांकन का आधार

कम्पनी के लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 से सम्बंधित लागू होने वाले प्रावधानों में दिए गए लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गए हैं। एम. सी. ए. निर्देश के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर लागू रहेंगे। कम्पनी के वित्तीय विवरण, विवरण उपचय लेखांकन के आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गए हैं। कम्पनी द्वारा वित्तीय विवरण लेखांकन नियमावली के अनुसार उसी क्रम में तैयार किये गये हैं, जैसे विगत वर्षों में तैयार किये गये है।

(ब) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धातों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग सम्पत्तियों एवं दायित्वों की राशियों तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कंपनी प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किए गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

(स) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते हैं (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते हैं तथा जिन्हें किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

(द) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया हैं। जिसमें लाभ–हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चों, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चे, भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियों, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किये गए राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग–अलग किया जाता है।

(य) आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता हैं जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जो कि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता हो, को विक्रय के रूप में जाना जाता है।

(र) अन्य आय

जमा पर ब्याज अर्जित आधार पर मानी जाती है।

(ल) अचल संपत्तियां (मूर्त/अमूर्त)

अचल सम्पत्तियों को उनकी लागत में से संचित ह्रॉस/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। अचल सम्पत्तियों की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से पुनः वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चे जो उस संपत्ति को वांछित प्रयोग में लेने के लिए किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी सम्पत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चे तथा संपत्ति क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर उसे वांछित प्रयोग हेतु चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। अचल सम्पत्तियों पर क्रय करने के उपरांत किये गए किसी भी प्रकार के अन्य खर्चे जिनसे सम्पत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पंजीकरण किया जाता है।

(ब) **प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य**
संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे सम्बन्धित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चे और आरोप्य ब्याज की राशि शामिल है।

ह्रॉस एवं ऋणमृक्ति

ह्रास का निर्धारण सीधी रेखा पद्धति संपत्ति के प्रयोग जीवन के आधार पर होता है जो कि टेक्निकल सलाह, संपत्ति की प्रकृति, सम्पत्ति का अनुमानित उपयोग, संपत्ति को चलाने की दशाएं, पिछले प्रतिस्थापन, अनुमानित तकनीकी परिवर्तन, निर्माण वारंटी और रखरखाव सेवा इत्यादि पर निर्भर करता है।

ह्रास का निर्धारण करने के लिए संपत्ति का उपयोगी जीवन निम्न प्रकार निर्धारित करते हैं,

विवरण	उपयोगी वर्ष	जिन्दगी
प्लांट एवं उपकरण	10	–
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	15	–
कम्प्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर	03	–
कार्यालय उपकरण	10	–

मूल्य–ह्रास का आंकलन वृद्धि की तिथि से अनुपातिक आधार पर किया जाता है।

5000 रूपये या इससे कम मूल्य के एकल सम्पत्तियों को उनके क्रय के वर्ष में ही मूल्य ह्रासित किया जाता है।

रहतिया

लागत का निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चे सम्मिलित हैं जो उनके वर्तमान स्थान तथा स्तिथि में लाने हेतु किये गए हैं। तैयार माल में ऊपरी खर्चों का उचित अनुपात सम्मिलित है।

अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य ह्रास सम्बन्धित सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान की तरह माना जाता हैं तथा उसे सम्पत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ–हानि विवरण में

दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य ह्रास राशि को कम करते हुये लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा सम्बन्धित खर्चों की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता है।

कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी तथा अवकाश का प्रतिफल हेतु प्रावधान शामिल है।

निर्धारित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

ग्रेच्यूटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्युटी को आर्थिक चिट्ठे की तिथि को किये गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार लिया गया है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोत्तरी को बीमांकिक मूल्यांक के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गयी हैं। इन लाभों में परफॉरमेंस इन्सेन्टिव्स और अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति शामिल हैं जो पिछले 12 माह में कर्मचारियों द्वारा दी गयी सेवाओं से सम्बन्धित है।

दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्तिथियां, जो कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12

माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी। एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

प्रतिशेयर आय

प्रतिशेयर मूल्य का निर्धारण, कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर पश्चात के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित औसत समता अंशों की संख्या (एंटी डाइल्यूटेड समता अंशों की संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय देय है।

स्थगित कर को समय के अंतराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अंतर के कारण जो एक समयाविधि में अर्जित हुए है। जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयाविधियों के लिए की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुए की भविष्य में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियां बचती हैं तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय सम्पत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर सम्पत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर हैं तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे सम्बन्धित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता हैं। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूंजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूंजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता हैं। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्चे मानकर लाभ–हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्चा किया जाता हैं।

सम्पत्तियों के क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी सम्पत्तियों के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि कोई ऐसा लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की सम्पत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उसे संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गए मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गयी संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह सम्पत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को उसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व – बट्टा दर जो कि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खाते में आय के रूप में माना जाता है।

प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब किसी पूर्व कालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी सम्भावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्त्रोतों का बहिर्गमन होगा, जिसके लिए उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा आर्थिक चिट्ठा बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ पैमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। आकस्मिक सम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं जाता है। आकस्मिक दायित्वों को नोट लगाकर दर्शाया जाता है।

लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनाएं उस संपत्ति के स्वामित्व में निहित होती हैं, तो ऐसे लीज को संचालनात्मक लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

महत्वपूर्ण घटनाएँ

आर्थिक चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा सम्पत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी सम्पत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह रखी है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 3 : अंश पूँजी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति अंशों की संख्या	31 मार्च, 2018 को स्थिति राशि (₹ में)	31 मार्च, 2017 को स्थिति अंशों की संख्या	31 मार्च, 2017 को स्थिति राशि (₹ में)
(a).	**अधिकृत अंश पूंजी** प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	2,000,000	200,000,000	2,000,000	200,000,000
(b)	**जारी की गयी, सदस्यों द्वारा ली गयी और पूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी** प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	18,56,650	1856,65,000	1,533,391	153,339,100

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (iii) देखें :–

नोट्स :–

(i) **अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध**

कम्पनी ने एक श्रेणी के रू. 100/– अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य सीमित प्रतिफल तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) **वर्ष के प्रारम्भ, समापन पर समता अंशों, संख्याओं तथा अदत्त राशियों का मिलान :**

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अंशों की संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राशि (₹ में)	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अंशों की संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राशि (₹ में)
	वर्ष/अवधि की शुरूआत के बकाया अंश	15,33,391	1533,39,100	897,689	89,768,900
	वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	3,23,259	323,25,900	635,702	63,570,200
	वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	18,56,650	1856,65,000	1,533,391	153,339,100

(iii) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत् एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा किसी भी सदस्य के पास 5% से ज्यादा अंश पूंजी नहीं है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 4 : संचय एवं अधिशेष

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a).	**सामान्य संचय**		
	प्रारम्भिक रहतिया	1356,34,064	132,497,431
	जोड़ें लाभ एवं हानि के अधिशेष से अंतरित	–	3,136,633
	जोड़ें वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए आयकर रिफन्ड से प्राप्त हुई राशि	10,35,76,871	–
	अंतिम शेष	23,92,10,935	135,634,064
(b)	**लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष**		
	प्रारम्भिक शेष	147,64,427	–
	अवधि का लाभ	12,14,83,190	17,901,060
	घटाएं		
	(i) सदस्यों को प्रस्तावित प्रतिफल (रू. 8 प्रति अंश)	122,67,130	–
	(ii) प्रस्तावित सीमित प्रतिफल पर कर	24,97,298	–
	(iii) सामान्य संचय में अंतरित	10,35,76,871	3,136,633
	अंतिम शेष	1,79,06,319	14,764,427
	योग (a+b)	**25,71,17,254**	**150,398,491**

Note 5 : आस्थगित अनुदान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	प्रारम्भिक रहतिया	1902,29,696	114,793,988
	पूँजी अनुदान वर्ष के दौरान उपयोग (नोट 33 देखें)	84,92,156	128,792,613
	घटाये : मूल्यह्रास की संपत्ति से सम्बन्धित पूँजी अनुदान से प्राप्त कर लिया	532,28,607	53,356,905
	अन्तिम रहतिया	**1454,93,244**	**190,229,696**

Note 6 : दीर्घकालीन उधारी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	सिक्योर्ड		
	(a) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सावधि ऋण (एनडीडीबी)	–	172,737,000
	दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्कता (नोट–11)	–	31,668,450
		–	**141,068,550**

Note

(i) सुरक्षित ऋण के सम्बन्ध में उपलब्ध कराए गए सुरक्षा के विवरण के रूप में किया जा रहा है

कम्पनी का ऋण, वर्तमान और भविष्य की चल संपत्ति पर एक पहला आरोप से सुरक्षित है, बंधक के मामले में और किताब को छोड़कर ऋण बचाने के लिए बनाया है और कम्पनी के बैंकरों के पक्ष में पैदा किए जाने से पहले आरोपों के अधीन जैसे कच्चे माल, अर्द्ध तैयार और तैयार माल, उपभोज्य दुकानों और किताब ऋण और इस तरह के अन्य चल संपत्ति के शेयरों केवल व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में कार्यशील पूंजी जरूरतों के लिए ऋण लेने के लिए हासिल करने के लिए ऋणदाता द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(ii) दीर्घकालिक उधार की चुकौती की शर्ते इस प्रकार हैः

अवधि के ऋण रूपये 17,27,37,000 मंजूर की गई है। ऋण ब्याज किया जाता है / प्रतिवर्ष 8.75% और ऋण अर्थात पहले संवितरण की तारीख की रिहाई से समझा प्रिंसिपल चुकौती पर 2 साल का एक अधिस्थगन अवधि के साथ 7 साल की अवधि में 60 समान मासिक किश्तों में चुकाया है।

Note : वित्तीय वर्ष में एन.डी.डी.बी. से टर्म लोन पूरी तरह चुका दिया गया है।

Note 7 : अन्य दीर्घकालिक देयताऐं

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a).	व्यापार/सुरक्षा जमा प्राप्त	8,96,48,528	85,106,108
		8,96,48,528	85,106,108

Note 8 : दीर्घकालीन प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a).	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान		
	(i) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु	117,84,146	9,083,399
	(ii) ग्रेच्युटी हेतु	–	–
		117,84,146	9,083,399

Note 9 : लघु अवधि की उधारी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a)	असुरक्षित बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा	9840,82,609	868,177,643
		9840,82,609	868,177,643

Note 10 : व्यावसायिक देनदारियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a).	व्यावसायिक देनदारियां (स्वीकृतियो को छोड़कर) (See Note 35)	3331,59,673	227,352,809
		3331,59,673	227,352,809

Note 11 : अन्य चालू दायित्व

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a).	दीर्घकालिक उधार की परिपक्वता		
Note:	दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता के सम्बन्ध में सुरक्षा के विवरण के लिए (नोट 6 देखें)		
(b).	अर्जित ब्याज लेकिन उधारी पर देय नहीं (नोट 6 देखें)	–	31,668,450
(c)	धन के आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त किया	100,68,097	9,757,139
	प्रतिभूति और वापसी के लिए कारण		
		24,56,450	2,986,401
(d)	लावारिस/अवैतनिक लाभांश	19,21,726	1,308,530
(e)	वैधानिक देय	46,38,090	3,665,133
(f)	व्यावसायिक एवं प्राप्त प्रतिभूति जमायें	–	187,009
(g)	अनुदान (उपयोग का शुद्ध) (नोट 33 देखें) प्राप्त	29,17,188	–
(i)	ग्राहकों से अग्रिम प्राप्ति	1,08,042	496,648
		221,09,593	50,069,310

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 12 : अल्पकालीन प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a).	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान		
	(i) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु	19,59,321	14,418,859
	(ii) ग्रेच्युटी हेतु	–	–
(b).	आयकर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर : 2,16,20,976/– पिछले वर्ष–शून्य)	5,32,20,069	
		5,51,79,390	**14,18,859**

Note 14 : स्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(i).	उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर सम्पत्तियों का भाग हैं		
	a. प्रतिपूर्ति/ग्रेच्युटी अनुपस्थितियों हेतु प्रावधान	48,02,517	3,472,362
	b. आयकर की धारा 35D के अंतर्गत अस्वीकृत	1,20,564	228,148
	c. संदिग्ध डेबिट के लिए प्रावधान	1,81,455	171,687
	d. अप्रयुक्त राजस्व अनुदान	10,19,382	–
		61,23,918	**3,872,197**
(ii).	उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर दायित्वों का भाग हैं		
	a. अचल सम्पत्तियों के पुस्तकों के शेष एवं कर शेष में अंतर पर	14,37,738	5,373,384
		14,37,738	5,373,384
	शुद्ध स्थगित कर संपत्ति	**46,86,180**	**(1,501,187)**

Note 15 : दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	असुरक्षित एवं उचित माने गये		
(a)	पूंजी अग्रिम	4,03,560	–
(b)	जमा प्राप्तियाँ	33,04,353	3,129,353
(c)	एडवांस टैक्स (स्त्रोत पर कर कटौती सहित)	1,94,45,861	19,942,953
		2,31,53,774	**23,072,306**

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 16 : स्टॉक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	(स्टॉक लागत एवं वसूली मूल्य जो कम हो उस पर)		
(a)	स्टॉक इन ट्रेड		
	(i) कच्चा दूध	124,65,686	13,497,891
	(ii) पारगमन में कच्चा दूध	323,47,402	12,627,746
	(iii) अन्य व्यापारिक सामग्री	71,24,466	14,508,057
	(iv) अन्य उपभोग्य	13,33,120	4,190,382
		532,70,675	44,824,077

Note 17 : व्यवसायिक लेनदारियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	(असुरक्षित एवं उचित माने गए)		
(a)	देय तिथि से 6 माह से कम अवधि के लिए बकाया	–	–
	अच्छा माना जाता है	519,273	519,273
	संदिग्ध माना जाता है	519,273	519,273
		519,273	519,273
	घटायें –	–	–
	संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	12896,00,909	907,947,854
(b)	अन्य	12896,00,909	907,947,854

Note 18: रोकड़ तथा रोकड़ समान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a).	रोकड़ तथा रोकड़ समान		
	(i) बैंक शेष		
	a) चालू खाते, रोकड़ तथा रोकड़ समान, रोकड़ प्रवाह	269,90,073	166,280,985
	विवरण AS-3 के अनुसार	269,90,073	166,280,985
(b).	अन्य बैंक शेष		
	(i) बैंक में जमा, वास्तविक परिपक्वता तिथि से 3 माह अधिक	2969,01,830	257,828,204
	(ii) निर्धारित खाते में		
	अवैतनिक लाभांश खातों में	19,21,726	1,308,530
		3258,13,629	425,417,719

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 19 : अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	(असुरक्षित एवं उचित माने गये)	48,88,106	14,184,786
(a)	विक्रेताओं को अग्रिम	16,21,866	1,549,608
(b)	पूर्वदान्त व्यय	5,273	160,888
(c)	ऋण और कर्मचारियों को अग्रिम	–	523,130
(d)	वैट के अधिकार के साथ संलग्न	–	6,873,315
(e)	प्राप्त अनुदान (नोट 33 देखें)	16,88,444	610,809
(f)	ग्रैच्युटी फंड (देयता की रकम : 35,29,428/–) पिछले वर्ष की रकम : 610,809)	**82,03,690**	**23,902,536**

Note 20 : अन्य तरल आस्तियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	(असुरक्षित एवं उचित माने गए)		
(a)	ब्याज अर्जिक किया गया लेकिन बैंक में जमा नहीं	86,00,410	8,739,784
		86,00,410	**8,739,784**

Note 21 : व्यवसाय से आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a).	उत्पादों की बिक्री (नोट (i) देखें)	77115,83,065	4,960,675,057
		77115,83,065	**4,960,675,057**

विक्रय किये गए उत्पाद

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(i)	**व्यावसायिक माल**		
	a) कच्चा दूध	74600,09,867	4,799,015,590
	b) पॉलीपैक दूध	699,38,808	49,236,911
	c) दूध के उत्पाद	663,70,035	23,618,092
	d) पशु आहार	937,24,324	71,192,024
	e) वीर्य	215,40,030	17,612,440
		77115,83,065	**4,460,675,057**

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 22 : अन्य आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a)	ब्याज से आय		
	(i) बैंक में जमा	1,73,25,355	14,721,337
(b)	गैर व्यावसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	11,03,886	2,910,186
	(ii) विविध आय	18,43,370	1,528,495
		2,02,72,612	19,160,018

Note 23 : स्टॉक इन ट्रेड की खरीद

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a)	कच्चा दूध	6,82,60,79,833	4,059,524,762
(b)	खरीद व्यय	–	313,534,582
(c)	पॉली पैक दूध	797,06,060	54,705,927
(d)	दूध उत्पाद	558,72,111	33,302,734
(e)	पशु आहार	817,28,673	64,963,650
(f)	वीर्य	50,32,916	4,884,306
		7,04,84,19,593	4,530,915,960

Note 24 : तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 समाप्त अवधि पर	31 मार्च, 2017 समाप्त अवधि पर
(a)	वर्ष के प्रारम्भ में रहतिया	387,62,845	34,421,845
(b)	वर्ष के समापन पर रहतिया	519,37,555	38,762,845
(c)	रहतिया में शुद्ध वृद्धि	(131,74,709)	4,341,000)

Note 25 : कर्मचारी हित सम्बन्धी खर्चे

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 समाप्त अवधि पर	31 मार्च, 2017 समाप्त अवधि पर
(a)	वेतन एवं मजदूरी	5,33,04,668	58,822,816
(b)	भविष्य निधि कोष में योगदान	47,49,983	5,059,911
(c)	कर्मचारी कल्याण पर व्यय	17,75,726	1,155,585
		5,98,30,377	6,50,38,312

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 26 : वित्तीय लागत

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a)	अवधि ऋण		
(i)	अवधि ऋण	99,47,969	14,862,243
(ii)	बिल डिस्काउंटिंग	627,74,448	42,287,892
(b)	सेवा कर भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	37,205	5,747
(c)	आयकर भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	27,41,044	–
		7,55,00,667	57,155,882

Note 27 : अन्य व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a)	स्टोर्स तथा स्पेयर्स का उपभोग	272,78,960	27,093,482
(b)	पावर एवं फ्यूल	16,89,508	1,078,627
(c)	किराया	141,43,187	13,729,359
(d)	दर तथा कर	3,97,793	99,698
(e)	मरम्मत एवं रखरखाव – भवन	1,749	98,155
(f)	मरम्मत एवं रखरखाव – मशीनरी	220,14,561	14,270,522
(g)	मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	38,65,871	4,232,471
(h)	विज्ञापन एवं व्यवसाय संवर्धन	17,95,791	5,016,960
(i)	अग्रिम भाड़ा एवं वितरण व्यय	1358,00,464	77,388,194
(j)	बीमा व्यय	27,92,183	3,024,824
(k)	कानूनी और सलाहकारों का पारिश्रमिक	2,03,34,037	3,024,824
(l)	अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	13,23,202	16,067,999
(m)	यात्रा एवं परिवहन व्यय	52,77,432	901,801
(n)	मजदूरी व्यय	550,87,245	13,884,599
(o)	सम्प्रेषण व्यय	171,47,115	57,798,139
(p)	विज्ञापन और व्यापार को बढ़ाने के व्यय	–	519,273
(q)	खराब और संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	68,38,770	7,127,747
(r)	विविध व्यय	31,57,87,868	253,871,962

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(i) : अंकेक्षकों के पारिश्रमिक में निम्न शामिल है

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a)	वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	9,40,000	660,000
(b)	कर अंकेक्षण शुल्क	1,65,000	110,000
(c)	कर्मचारियों द्वारा किया गया खर्चा	16,358	14,175
(d)	उपरोक्त कर सेवाकर	2,01,844	117,626
		13,23,202	901,801

Note 28 : आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(a)	आकस्मिक देनदारियां (i) FSSAI के मामले	8,00,000	250,000
(b)	प्रतिबद्धताएं		
	शेष ठेके की अनुमानित राशि पूँजी खाते पर क्रियान्वित करने के लिए प्रदान नहीं की (रूपये का भुगतान किया अग्रिमों का शुद्ध 4,035,560/– पिछले वर्ष रूपये 49,75,000)	6,05,340	4,975,000

Note 29 : कर्मचारी लाभ योजनाएं

कर्मचारी योगदान योजनाएं

कम्पनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनाएं प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी तथा कंपनी दोनों की पूर्वनिर्धारित योगदान, भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोष में जमा कराते है। आमतौर पर यह योगदान कर्मचारी के वेतन पर एक निश्चित अनुपात में होते है।

कम्पनी ने रू0 36,54,650/– (पिछले वर्ष 32,40,914 रू0) की राशि को लाभ हानि खाते में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।

निर्धारित लाभ योजना

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी योजना (एक मुस्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनाएं कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गयी सेवाओं के वर्षों तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्युटी योजना हेतु कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परतंत्र के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्युटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(i): निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	वर्ष/अवधि की शुरूआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	21,63,184	851,968
	ब्याज लागत	1,63,320	61,807
	वर्तमान सेवा लागत	13,35,871	1,204,722
	लाभ का भुगतान	–	(66,656)
	बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर घाटा	(1,32,947)	111,343
	वर्ष के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**35,29,428**	**2,163,184**

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(ii)	**योजना संपत्तियों का उचित मूल्य**		
	वर्ष की शुरूआत में योजना सम्पत्ति का उचित मूल्य	27,73,993,00	–
	योजनागत सम्पत्ति पर संभावित लाभ	3,10,769	54,063
	अंशदान	21,72,984	2,752,163
	लाभ का भुगतान	–	–
	निकासी	–	–
	प्लान परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/हानि	–	(32,233)
	वर्ष के अंत में योजना संपत्ति की वापसी	(39,874)	–
		52,17,872	**2,773,993**
(iii)	**योजना संपत्ति की वापसी**		
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	3,10,769	54,063
	योजना संपत्तियों पर वास्तविक लाभ/हानि	27,73,993	–
	योजना संपत्ति पर वास्तविक प्रतिफल	**30,84,762**	**54,063**

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(iv)	**आर्थिक चिट्ठे में स्वीकृत की गयी राशि**		
	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य योजना	35,29,428	2,163,184
	सम्पत्तियों का उचित मूल्य	52,17,872	2,773,993
	आर्थिक चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/सम्पत्ति	(16,88,444)	610,809

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(v) : लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्चे

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	वर्तमान सेवा लागत	13,35,871	1,204,722
	ब्याज लागत	1,63,320	61,807
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(3,10,769)	(54,063)
	व्यय लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त	(93,073)	111,343
	लाभ/हानि में स्वीकृत व्यय	10,95,349	1,323,809

(vi) : चिट्ठे का मिलान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध दायित्व	(6,10,809)	851,868
	उपरोक्तानुसार व्यय	10,95,349	1,323,809
	योगदान	21,72,984	2,752,163
	लाभ का भुगतान	–	(66,656)
	निकासी	–	32,233
	वर्ष के अन्त में देयता (संपत्ति)	(16,88,444)	(610,809)

(vii) : मुख्य बीमांकिक अनुमान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	छूट की दर	7.55% प्रतिवर्ष	7.55% प्रतिवर्ष
	अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00% प्रतिवर्ष	10.00% प्रतिवर्ष
	योजना सम्पत्तियों पर	8.05% प्रतिवर्ष	8.05% प्रतिवर्ष
	संघर्षण दर	14.00% प्रतिवर्ष	13.00% प्रतिवर्ष
	शेष कार्यकारी जीवन	23.53 वर्ष	24.76 वर्ष
	प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी	IALM 2006–08 Ultimate	IALM 2006–08 Ultimate

बट्टे की दर चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित बाजार लाभ पर निर्भर करती है।
सामान मुख्य बीमांकिक मान्यताओं का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

(viii) : अनुभव समायोजन

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता का वर्तमान मूल्य	35,29,428	2,163,184
	योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	52,17,872	2,773,993
	पोषित स्थिति	(16,88,444)	(610,809)
	प्रतिबद्धताओं पर लाभ/हानि	1,32,947	(111,343)
	योजना सम्पत्तियों पर लाभ/हानि	(39,874)	–

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(ix) : मुख्य बीमांकिक अनुमान (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	बट्टे की दर	7.55% प्रतिवर्ष	7.90% प्रतिवर्ष
	अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00% प्रतिवर्ष	10.00% प्रतिवर्ष
	योजना सम्पत्तियों पर	–	–
	संघर्षण दर	14.00% प्रतिवर्ष	13.00% प्रतिवर्ष
	शेष कार्यकारी जीवन	23.53 वर्ष	24.45 वर्ष
	प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी	IALM 2006–08 Ultimate	IALM 2006–08 Ultimate

लीज व्यवस्था

कंपनी ने अपने कार्यालय परिसर के लिए परिचालन पट्टे की व्यवस्था में प्रवेश किया है। पट्टे व साल की अवधि के लिए 4 साल की गैर रद्दीकरण अवधि पर है। पट्टा समझौता हर 3 साल के बाद 15% की वृद्धि के लिए मान्य है। पट्टे के खर्चे रू. 1,41,43,187 (पिछले वर्ष रू. 13,729,359/–) जो कि लाभ और हानि चिट्ठे में वर्णित है।)

Note 30 : भावी न्यूनतम लीज निम्न प्रकार है : (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	एक वर्ष बाद देय नहीं	45,22,711	4,269,679
	एक वर्ष बाद देय पर पाँच वर्ष बाद देय नहीं	194,79,228	6,650,737
	पाँच वर्ष बाद देय	75,19,863	–
		3,15,21,801	10,920,416

Note 31 : प्रति समता अंश आय (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	Unit	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये	12,14,83,190	17,901,060
	वर्ष के दौरान भारित औसत अर्द्ध समता अंशों की संख्या	संख्या	15,92,350	1,021,831
	प्रति समता अंश का न्यूनतम मूल्य	रूपये	100	100
	प्रति अंश समता मूल आय	रूपये	76.29	17.52
	डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयोग किये गए समता अंश	संख्या	15,94,960	1,022,050
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रूपये	76.17	17.51

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 32 : सरकारी अनुदान का विवरण (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
	अनुदान का विवरण एन.डी.डी.बी. और एन.डी.डी.बी.–डेयरी सेवाएं और इसके उपयोग से प्राप्त इस प्रकार है:		
	(a) प्रारम्भिक शेष	(68,73,315)	11,608,088
	(b) वर्ष के दौरान प्राप्त	1815,18,416	314,920,481
		1746,45,101	326,528,569
	(c) पूँजी पर सम्पत्ति के लिये	84,92,156	128,792,613
	(अ) पूँजीगत सम्पत्ति	–	–
	अचल सम्पत्ति	–	–
	सम्पत्ति इन्सटालेशन के तहत	84,92,156	128,792,613
	पूँजी अग्रिम		
		1632,35,757	204,609,272
	(ब) राजस्व खर्च के लिए कुल इस्तेमाल किया गया (i) + (ii)	1717,27,913	333,401,885
	शेष (अ+ब–स)	29,17,188	(68,73,315)

Note :

पूँजीगत संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किये गये अनुदान को स्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है और उपयोग किये जाने वाले राजस्व अनुदान को संबन्धित व्यय के साथ हटा दिया गया है (Note 2K देखें)

Note 33 :

सम्बन्धित पक्ष प्रकटीकरण :–

(a). सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं सम्बन्ध का स्वरूप

सम्बन्ध का स्वरूप (Nature of Relationship)	सदस्य का नाम (Name of Person) सम्बन्ध
मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पी.)	डॉ. ऋषि राज सिंह मुख्य कार्यकारी

(b). उपरोक्त सम्बन्धित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन–देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है।

Nature of Transactions	KMP	Total (रूपये)
प्रबंधक पारिश्रमिक	34,88,156 (32,74,992)	3,274,992 (3,239,934)

(ब्रैकेट में आँकड़ें पिछले वर्ष संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते है)

Note 34 :

प्रबंधक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग अनिधिनम, 2006 (MSMED Act) के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी आपूर्तकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत कंपनी की कोई भी रही बकाया नहीं है।

Note 35 :

कंपनी दुग्ध तथा पशु आहार के व्यवसाय से सम्बन्धित है। खण्ड सूचना के लेखा मानकों AS–17 के अनुसार प्रकटीकरण की कंपनी को कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि कंपनी एक ''व्यावसायिक गतिविधि'' से सम्बन्धित है तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है।

Note 36 :

गतवर्ष 31 मार्च 2018 के लिये निदेशकों ने अपनी बैठक में जो 10 अगस्त 2018 को हुयी थी जिसमें लाभांश 1,48,53,200 (रू. 8 प्रति शेयर) लाभांश शेयर धारकों के साधारण सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद दिया जायेगा। इसलिए आर्थिक चिट्ठे में शामिल नहीं किया है। प्रस्तावित लाभांश उन सभी शेयर धारकों को मिलेगा जिन्होंने अपने शेयर अंश का पूर्ण भुगतान किया हुआ है। कुल लाभांश 1,48,53,200 है और उस पर कर 30,53,119 है।

Note 37 :

कम्पनी ने अंश आवेदन धनराशि के रूप में रू. 2,61,000/– प्राप्त किये है। जिसका आवंटन 26 जून, 2018 की बोर्ड बैठक में किया गया था।

Note 38 :

पिछली अवधि के आंकड़े फिर से एकजुट कर दिया है / जहाँ आवश्यक चालू वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटीकरण के साथ अनुरूप करने के लिए पुनवर्गीकृत कर दिया गया है।

कृते निदेशक मंडल

ह./–
महेश चन्द्र
निदेशक

ह./–
डॉ. ऋषिराज सिंह
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वरिष्ठ वित्त प्रबन्धक

स्थान : आगरा
दिनांक : 10 अगस्त, 2018

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 13 : अचल सम्पत्ति

	विवरण	Gross Block			Accumulated Depreciation			Net Block	
		As at April 1, 2017	Additions	As at March 31, 2018	As at April 1, 2017	Depreciation Charge	As at 31 March, 2018	As at 31 March, 2018	As at 31 March, 2017
(a)	**मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)**								
	सयंत्र एवं उपकरण	43,85,52,460	139,60,411	4525,12,871	105,135,375	546,00,233	1597,35,608	2927,77,263	3334,17,085
		(31,60,64,390)	(1224,88,070)	(4385,52,460)	(58,615,065)	(465,20,310)	(1051,35,375)	(3334,17,085)	(2574,49,325)
	फर्नीचरण व फिक्सचर	2,76,76,127	31,620	277,07,747	26,211,744	1,45,847	263,57,591	13,50,156	14,64,383
		(1,37,80,746)	(138,95,381)	(276,76,127)	(12,269,497)	(139,42,247)	(262,11,744)	(14,64,383)	(15,11,249)
	दफ्तर के उपकरण	37,83,807	2,23,290	40,07,097	522,864	3,61,242	8,84,106	31,22,991	32,60,943
		(30,41,557)	(7,42,250)	(37,83,807)	(118,263)	(4,04,601)	(5,22,864)	(32,60,943)	(29.23.294)
	कम्प्यूटर	14,12,23,489	117,72,395	1529,95,884	52,054,460	457,66,188	978,20,648	551,75,236	891.69.029
		(6,83,94,841)	(728,28,648)	(1412,23,488)	(15,091,135)	(369,63,325)	(520,54,460)	(891,69,028)	(533.03.706)
	कुल (A)	61,12,35,883	259,87,715	6372,23,599	1839,24,443	1008,73,510	2847,97,953	3524,25,646	4273,11,440
	गत वर्ष	(4012,81,534)	(2099,54,349)	(6112,35,883)	(860,93,960)	(978,30,483)	(1839,24,443)	(4273,11,440)	(3151,87,574)
(b)	नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले अवधि संख्या का प्रतिनिधित्व करता है।								
	अमूर्त संपत्ति	295,59,113	46,47,544	342,06,657	50,09,975	104,51,156	154,61,131	187,45,525	245,49,138
	(अन्य स्वयं उत्पन्न की तुलना में) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	(2,780,196)	26,778,917	29,559,113	303,571	4,706,404	5,009,975	24,549,138	2,476,625
	कुल (B)	295,59,113	46,47,544	342,06,657	50,09,975	104,51,156	154,61,131	187,45,525	245,49,138
	गत वर्ष	(27,80,196)	(267,78,917)	(2,95,59,113)	(3,03,571)	(47,06,404)	(50,09,975)	(245,49,138)	(24,76,625)
	(A+B)	6407,94,996	306,35,259	6714,30,256	1889,34,419	1113,24,666	3002,59,085	3711,71,171	4518,60,578

नोट :

		31 मार्च, 2018 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
(i)	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च		
	मूर्त संपत्ति	1008,73,510	97,830,483
	अमूर्त संपत्ति	104,51,156	4,706,404
	कम मूल्य ह्रास की संपत्ति से सम्बन्धित अनुदान से	532,28,607	53,356,905
	प्राप्त कर लिया	580,96,059	49,179,982

(ii) कोष्ठक में दिये गये आँकड़ें पिछले वित्तीय वर्ष के हैं :–

(iii) पूँजी अनुदान से खरीदी और टेबल के ऊपर नीचे दिए गए हैं में शामिल परिसंपत्तियों का विवरण (ध्यान दें 32 देखें):

	विवरण	Gross Block			Accumulated Depreciation			Net Block	
		As at April 1, 2017	Additions	As at April 31, 2018	As at April 1, 2017	Depreciation Charge	As at 31 March, 2018	As at 31 March, 2018	As at 31 March, 2017
(a)	**मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)**								
	सयंत्र एवं उपकरण	133,840,001	–	133,840,001	22,613,017	149,72,703	375,85,720	962,54,281	1112,26,984
	फर्नीचरण व फिक्सचर	3,232,782	98,771	33,31,553	345,048	3,07,167	6,52,214	26,79,339	28,87,735
	दफ्तर के उपकरण	25,902,129	–	259,02,129	25,902,129	–	259,02,129	–	–
	कम्प्यूटर	95,793,402	50,49,236	1008,42,638	34,676,110	316,52,626	663,28,735	345,13,903	611,17,292
	अमूर्त सम्पत्ति								
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	17,423,075	33,44,149	207,67,224	2,338,131	62,96,112	86,34,243	121,32,981	150,84,944
	योग	27,61,91,389	84,92,156	2,46,83,545	8,58,74,434	5,32,28,607	13,91,03,041	14,55,80,503	19,03,16,955

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजिस्टर्ड कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

पाँचवीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की पाँचवीं वार्षिक साधारण सभा बृहस्पतिवार, 13 सितम्बर, 2018 को पूर्वाहन 11:30 बजे होटल रेडिसन ब्लू, ताज ईस्ट गेट रोड, आगरा–282001, उत्तर प्रदेश, भारत में निम्न कार्यों के लिए होगी :

1. **31 मार्च, 2018 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ–हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित साधरण प्रस्ताव पारित करना :**

   '' प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2018 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।''

2. **कंपनी की समता अंश पूँजी के सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूँजी पर रूपये 8/– प्रति समता अंश की दर से, 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लाभ में से रू. 100/– वाले पूर्ण प्रदत्त 18,56,650 समता अंशों पर रू. 1.79 करोड़ (जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रू. 0.31 करोड़ शामिल है) वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2018 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

3. **वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तय करने के लिये विचार एवं अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, गुरूग्राम, हरियाणा जिनका आई.सी.ए.आई. पंजीकरण

संख्या–101496 डब्ल्यू है एवं जो हमारे सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षक हैं, उनकी पुनः नियुक्ति वैधानिक अंकेक्षक के रूप में रूपये 10,00,000/– पारिश्रमिक एवं लागू जी.एस.टी. तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ पाँचवीं आम सभा की समाप्ति से लेकर छठी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।''

4. **1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट को वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदित किया जाता है।''

5. **श्री उपेन्द्र सिंह (डी.आई.एन. 08198050) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करना, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे और यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अर्न्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अर्न्तगत एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), श्री उपेन्द्र सिंह (डी.आई.एन. 08198050) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं को एतद्द्वारा कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

6. **श्री रवि कुमार दीपक (डी.आई.एन. 08198061) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करना, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे और यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अर्न्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तर्नियमों के अर्न्तगत एवं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), श्री रवि कुमार दीपक (डी.आई.एन. 08198061) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं को एतद्द्वारा कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

7. **श्री राजकुमार शर्मा (डी.आई.एन. 08198083) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करना, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे और यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव**

पारित करना :

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अर्न्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अन्तर्नियमों के अर्न्तगत एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), श्री राजकुमार शर्मा (डी.आई.एन. 08198083) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं को एतद्द्वारा कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

8. **कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी में वृद्धि करना और यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :**

''निर्णय लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 581H, 581ZQ, 581ZR तथा अन्य लागू प्रावधान, अगर कोई है, तो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 16 व 94 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सकें) तथा कंपनी के बर्हिनियम एवं अन्तर्नियम के अनुसार, रू. 100/– (एक सौ रूपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 10,00,000 (दस लाख) समता अंश लाकर कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी को रू. 100/– (एक सौ रूपये) प्रत्येक के 20,00,000 (बीस लाख) समता अंशों में विभाजित रू. 20,00,00,000/– (रूपये बीस करोड़) से बढ़ाकर 100/– (एक सौ रूपये) प्रत्येक के 30,00,000 (तीस लाख) समता अंशों में विभाजित रू. 30,00,00,000/– (रूपये तीस करोड़) किया जाये।

पुनः निर्णय लिया जाता है कि कंपनी के बर्हिनियमों में पुनसंख्याकित अनुच्छेद VI के स्थान पर निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI के द्वारा बदलाव किया जाता है।

''VI कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी रू. 30,00,00,000/– (रूपये तीस करोड़) है, जो रू. 100/– प्रति अंश के 30,00,000 अंशों में बटी है।''

पुनः निर्णय लिया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी और कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, संदेह व समस्याओं को अपने स्वतंत्र विवेकानुसार निष्पादन करने के लिये अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

9. **कंपनी के अर्न्तनियमों में संशोधन के लिये मंजूरी देना तथा यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से सम्बन्धित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 581-I, 581-ZQ, 581-ZR तथा अगर कोई है, एवं धारा 31 सहित कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्य

लागू होने वाले अन्य प्रावधानों किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों तथा समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न अध्यादेश) के साथ कंपनी के बर्हिनियम एवं अर्न्तनियमों के लागू होने वाले वर्तमान कंपनी अर्न्तनियमों को जहाँ तक सम्भव हो सकें निम्न प्रकार से संशोधन किया जा सकता है –

1. वर्तमान अनुच्छेद 4.2 iii को रूपान्तिरित करके पढ़ा जाये।

   कोई भी सदस्य सदस्यता को जारी रखने के योग्य नहीं है, यदि :

   अ. उसका किसी भी प्रकार का व्यावहारिक हित हो जो कंपनी के व्यवसाय के लिए अनुकूल न हो ; या

   ब. जो कर्मचारी लगातार छः महीनों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में या वर्तमान वित्तीय वर्ष से पूर्व अथवा दो वित्तीय वर्षों में या जिस वित्तीय वर्ष में वह पंजीकृत अथवा नामांकित होने के लिए प्रस्तावित है। उस वित्तीय वर्ष में, कंपनी में संविदात्मक रोजगार के जरिये कार्यरत था।

2. वह निदेशक प्रत्येक वार्षिक आम सभा में चक्रीय क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे जिनका कार्यकाल अंतिम नियुक्ति के बाद से सबसे लंबा रहा है परन्तु ऐसे निदेशक जो एक ही तिथि पर निदेशक नियुक्त हुए थे उनमें से निदेशक का चुनाव पर्ची द्वारा किया जायेगा तथा यह शब्द और वाक्य अनुच्छेद 9.6 के उप अनुच्छेद (i) में ''अनुच्छेद 9.5'' शब्द के बाद जोड़े जायेंगे।

3. वह निदेशक पद से हटने के पश्चात्, 3 वर्ष बाद पुनः निदेशक बनने के लिए योग्य होंगे। अनुच्छेद 9.7 में नियुक्त किये गये निदेशक की अवधि इस अनुच्छेद में मानी नहीं जायेगी। यह वाक्य अनुच्छेद 9.6 के उप अनुच्छेद iii में ''लगातार कार्यकाल'' के बाद जोड़ा जाये।

4. वर्तमान अनुच्छेद 9.7 को रूपान्तिरित करके पढ़ा जाये :

   बोर्ड रिक्त पदों को भरने के लिए, बोर्ड एक अतिरिक्त निदेशक नियुक्त कर सकता है परन्तु किसी भी रिक्ति को भरने के लिए चुने गये सदस्य ने कम से कम दो वर्षों में लगातार सदस्यता निरंतरता मानदण्डों को पूरा किया हो तथा जो भी अतिरिक्त निदेशक या निदेशक नियुक्त होगा वो आगामी वार्षिक आम सभा तक ही पद पर निदेशक रह सकता है, या बोर्ड द्वारा निर्धारित कम अवधि के लिए भी निदेशक रह सकता है। ऊपर वर्णित सदस्यों को आगामी दो वर्षों के लिए रिक्त पद को भरने के लिए चयनित नहीं किया जा सकता है।

5. अनुच्छेद 9.16 में, उप अनुच्छेद xii के उपरान्त अनुच्छेद xiii को जोड़ा जाये :

   xiii उसका या उसके रिश्तेदार का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पिछले दो वित्तीय वर्ष में या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल बिक्री का या कुल आय का दो प्रतिशत या उससे अधिक, या पच्चीस हजार रूपये या उससे अधिक की राशि जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई हो, इन सब में जो भी कम हो, कंपनी के साथ कोई भी लेन–देन है या वित्तीय सम्बन्ध है, सिर्फ (सदस्यता लाभ) को छोड़ के तो निदेशक निर्वाचित हो सकता है।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी एवं कंपनी सचिव एतदद्वारा पृथक रूप से आवश्यक फार्म कंपनी पंजीयक के पास जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, मुद्दों तथा वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के लिए
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या– ए26119

दिनांक : 10 **अगस्त**, 2018
स्थान – आगरा

टिप्पणी –

1. कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है, को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखाकर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि (Proxy) के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्यों को प्रतिनिधी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए प्रोक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरह से भरकर, स्टॉम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे से पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रोक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।

2. सदस्य/प्रतिनिधी पाँचवी वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने के लिए उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip) विधिवत भरकर लाने की कृपा करें।

3. प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा ली गई अंश पूँजी और संरक्षता को ध्यान में रखते हुये एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कंपनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।

4. निम्नांकित दस्तावेज सूचना पत्र के साथ संलग्न हैं–

   अ. निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाले प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं का विवरण।

   ब. दिनांक 16 सितम्बर, 2017 को सम्पन्न हुई चतुर्थ वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।

   स. 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता, अंकेक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट।

   द. वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट।

5. जो सदस्य कंपनी के परिचालन से सम्बन्धित या खातों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने प्रश्नों को वार्षिक साधारण सभा से 7 दिन पूर्व कम्पनी सचिव को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेज सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारियां उन्हें आम सभा में उपलब्ध करायी जा सके।

6. व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement) मद संख्या 5, 6, 7, 8 और 9 के लिए सूचना पत्र के साथ संलग्न है।

7. सदस्यों से अनुरोध है कि वह पते के परिवर्तन को पिन कोड तथा मोबाइल नम्बर सहित कंपनी के पंजीकृत

कार्यालय में तुरन्त सूचित करें।

8. इस सूचना में बताये गये दस्तावेजों एवं व्याख्यात्मक विवरण को कार्य दिवसों में प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक निरीक्षण किया जा सकता है।

9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियो संख्या एवं सोलह अंकों का सदस्यता कोड अवश्य लिखें।

10. सीमित लाभांश (डिविडेंड) जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर पारित होता है तो उन सदस्यों को दिया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2018 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

11. सदस्यों को एतद् दारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों तथा समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न अध्यादेश) की धारा 205ए के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए यदि सीमित लाभांश (डिविडेंड) की राशि को उसकी घोषणा से सात वर्षों तक दावा/नकदीकरण नहीं करते है, तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education and Protection Fund) में हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA (4) (c) के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, उम्मीदवारी की योग्यता का विवरण जिन्होंने निदेशक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव भेजा है–

मद संख्या 5, 6 और 7

निदेशक पद के लिए उम्मीदवारों के नाम	योग्यता	योग्यता
श्री उपेन्द्र सिंह	स्नातक	कृषक एवं पशुपालन
श्री रवि कुमार दीपक	इण्टरमीडिएट	कृषक एवं पशुपालन
श्री राजकुमार शर्मा	स्नातक	कृषक एवं पशुपालन

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के लिए
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या– ए26119

दिनांक : 10 अगस्त, 2018
स्थान – आगरा

व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)
(सूचना पत्र में दी गई मद संख्या 5 से 9 तक सम्बन्धित)

मद संख्या : 5, 6 और 7

कंपनी के अर्न्तनियम के अनुच्छेद 9.6 के अर्न्तगत श्री महेशचन्द्र, श्रीमती अखिलेश और श्रीमती सुनीता जो कंपनी के निदेशक है, वो पाँचवी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे।

दिनांक 02 अगस्त, 2018 को हुई नामांकन समिति की बैठक में नामांकन समिति ने निदेशक मंडल को श्री उपेन्द्र सिंह, श्री रवि कुमार दीपक तथा श्री राजकुमार शर्मा (जो ''श्रेणी ए'' के प्रतिनिधि है) को निदेशक के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

श्री उपेन्द्र सिंह, श्री रवि कुमार दीपक एवं श्री राजकुमार शर्मा, जिनकी योग्यता विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581 ZA(4) (C) के अनुसार इस सूचना पत्र के साथ संलग्न है एवं निदेशक पद हेतु योग्य होने के कारण उन्होंने अपनी उम्मीदवारी निदेशक पद के लिए प्रस्तावित की है, जो चयनित होने पर, निदेशक मण्डल में ''श्रेणी–ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यदि उन्हें नियुक्त किया जाता है तो वह चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।

श्री उपेन्द्र सिंह, श्री रवि कुमार दीपक एवं श्री राजकुमार शर्मा के अतिरिक्त कोई भी निदेशक/अधिकारी अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

नामांकन समिति की उपरोक्त अनुशंसा पर निदेशक मंडल मद संख्या 5, 6 और 7 में दिये गये साधारण प्रस्ताव को सूचना पत्र में वर्णित किया गया है तथा सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 8

वर्तमान समय में कंपनी की अधिकृत पूँजी रू. 20 करोड़ है, और जारी की गई है, अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूँजी रू. 18.56 करोड़ है। कंपनी की सामान्य व्यवसायिक कार्यप्रणाली में कंपनी की वृद्धि एवं विकास से सम्बन्धित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी को रू. 30 करोड़ तक बढ़ाना आवश्यक है। अतः कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी को रू. 30 करोड़ तक बढ़ाने की आवश्यकता है तथा इस उद्देश्य हेतु इसके साथ संलग्न मद संख्या 8 में दिये प्रस्ताव में किये गये वर्णन के अनुसार कंपनी के बर्हिनियमों में बदलने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव में लागू होने वाले वैधानिक प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, कंपनी के लिए अधिकृत अंश पूँजी में वृद्धि तथा कंपनी के बर्हिनियमों के पूँजी से सम्बन्धित अनुच्छेद में बदलाव हेतु सदस्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक है।

प्रस्तावित संशोधनों के साथ बर्हिनियमों एवं अर्न्तनियमों की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए आज की दिनांक से मीटिंग की दिनांक तक सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक उपलब्ध होगी।

कंपनी के निदेशकों/अधिकारियों अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मण्डल सदस्यों की स्वीकृति हेतु संलग्न किये गये सचूना पत्र की मद सं. 8 में वर्णित साधारण प्रस्ताव की अनुशंसा करते है।

मद संख्या :9

कंपनी के वर्तमान अर्न्तनियमों में कुछ संशोधन करने के साथ–साथ, समय–समय पर संशोधित कानूनों के लागू प्रावधानों के अनुरूप लेखों के प्रावधानों को समझने और बेहतर प्रशासन में स्पष्टता लाने के लिए कुछ प्रावधानों को शामिल करने तथा उन्हें प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। कंपनी के सदस्यों/निदेशकों की नियुक्ति, निरन्तरता और पृथककरण की प्रतिक्रिया में और स्पष्टता लाने के लिए, अस्पष्टता को खत्म करने के लिए और खण्डों को व्यापक अर्थ देने के लिए संशोधन आवश्यक है।

इसलिए प्रस्तावित परिवर्तनों का विवरण प्रारूप विशेष संकल्प में किया गया है, जिसमें बहिर्नियमों में कुछ नये अनुच्छेद को शामिल किया जा रहा है तथा वर्तमान अनुच्छेदों में कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं।

सदस्यों को पुनः सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत धारा 581–I (1) के अनुसार बहिर्नियमों में किया गया कोई भी संशोधन दो तिहाई निदेशकों तथा कंपनी की वार्षिक आम सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा एक सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना अनिवार्य है।

कंपनी के कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनसे सम्बन्धित कोई भी रिश्तेदार, किसी भी तरह से इस प्रस्ताव में रूचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मण्डल सदस्यों की स्वीकृति हेतु संलग्न किये गये सूचना पत्र की मद संख्या 9 में वर्णित विशेष प्रस्ताव की अनुशंसा करते है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के लिए
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या– ए26119

दिनांक : 10 अगस्त, 2018
स्थान – आगरा

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की चतुर्थ वार्षिक आम सभा जो शनिवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2017 को 11:30 बजे होटल रेडिसन ब्लू, ताज ईस्ट गेट रोड, आगरा–282001, उत्तर प्रदेश, भारत में सम्पन्न हुई, जिसकी कार्य सूची का विवरण निम्न है :

बैठक में उपस्थित सदस्य –

1.	श्री महेश चन्द्र	अध्यक्ष एवं अंशधारक
2.	श्री दिग्विजय सिंह	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्री शिव सिंह	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्री चन्द्र पाल सिंह	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्री मुरारी लाल	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री सुरेन्द्र कुमार	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्री हरपाल सिंह	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्रीमती अखिलेश	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्रीमती सुनीता	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्री जवाहर लाल	निदेशक एवं अंशधारक
11.	श्री अनिल कुमार	निदेशक एवं अंशधारक
12.	श्री अजय कुमार खोसला	विशेषज्ञ निदेशक
13.	श्री श्रीराम सिंह	विशेषज्ञ निदेशक
14.	श्री ऋषिराज सिंह	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
15.	श्री वरूण वर्मा	कंपनी सचिव

विशेष आमंत्रित :

श्री वाई. वाई. पाटिल : कार्यकारी निदेशक एनडीडीबी

श्री ओमवीर सिंह : प्रबन्ध निदेशक एनडीडीबी–डीएस

व्यक्तिगत और प्रतिनिधि रूप से उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या : 21,356

सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति : 285

सदस्य प्रतिनिधि रूप से उपस्थित : 21,071

श्री महेश चन्द्र ने बैठक की अध्यक्षता की तथा कोरम पूर्ण होने की घोषणा के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कम्पनी की चतुर्थ वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष ने सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया।

श्री वरूण वर्मा, कंपनी सचिव ने स्वर्गीय श्री बौबू (फोलियो संख्या – 048480), स्वर्गीय श्री छेदा लाल (फोलियो संख्या – 056663), स्वर्गीय श्री सुनील कुमार (फोलिया संख्या – 043017) तथा स्वर्गीय श्रीमती गिरीजा देवी (फोलियो संख्या – 045790) की मृत्यु के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया। इसके बाद सदस्यों और निदेशकों ने सदस्यों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने कंपनी के मूल्य, ध्येय एवं दीर्घदृष्टि को पढ़ने के साथ सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाया।

श्री वरूण वर्मा ने घोषणा की कि निदेशक मण्डल की समता अंश पूँजी के विवरण का रजिस्टर, प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों की समता अंश पूँजी का रजिस्टर जाँच के लिए सभा के प्रवेश द्वार पर उपस्थित है अथवा जो सदस्य उसे जाँचना चाहें, वह जाँच सकते है।

चतुर्थ वार्षिक आम सभा को बुलाने का नोटिस जोकि सदस्यों को पहले ही वितरित किया जा चुका था, जिसे सदस्यों की सर्व सम्मति से पढ़ा हुआ मान लिया गया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संदेश को सदस्यों और बैठक में उपस्थित अन्य अतिथिगण को सुनाया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष की सहमति पर चतुर्थ वार्षिक आम सभा के नोटिस में निर्धारित कार्यसूची पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में निम्नांकित व्यापार के बारे में चर्चा की गई।

1. **31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित वित्तीय विवरण (आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं नोट्स जो खातों का हिस्सा है) उन पर अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना।**

    श्री रामेश्वर (फोलियो संख्या : 0054599) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित

किया।

प्रस्ताव संख्या : 01/चतुर्थ वार्षिक आम सभा : 16–09–2017/17–18

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित वित्तीय विवरण (आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं नोट्स जो खातों का हिस्सा है) उन पर अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट एतद्द्वारा अपनाया जाता है।''

श्री जितेन्द्र कुमार (फोलियो संख्या : 0001527) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. **कंपनी की समता अंश पूँजी के सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।**

श्री विजयपाल (फोलियो संख्या : 0047287) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 02/चतुर्थ वार्षिक आम सभा : 16.09.2017/2017–18

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमीत लाभांश (डिविडेंड) कंपनी की समता अंश पूँजी, रूपये 8/– प्रति समता अंश जिसका मूल्य रू. 100/– प्रति अंश है, की दर से वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2017 के लिए देने का अनुमोदन किया जाता है। इसका भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2017 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

श्री सुरेन्द्र (फोलियो संख्या : 0005067) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. **विचारोपरान्त श्री शिव प्रताप की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।**

श्री जन्देल सिंह पारिहर (फोलियो संख्या : 0033218) जो ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करते है ने

निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप मं प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 03/चतुर्थ वार्षिक आम सभा : 10.09.2017/2017–18

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अर्न्तनियम के अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA के अनुसार लागू होने वाले प्रावधनों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न अध्यादेश), श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. 07894230) जो ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं को श्री हरपाल सिंह, निदेशक की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुये पद पर एतद्द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, जो कि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

श्री अखिलेश कुमार (फोलियो संख्या : 0045872) जो ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करते है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको ''श्रेणी सी'' के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

4. विचारोपरान्त श्री रजनीश कुमार की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।

श्री शैलेन्द्र कुमार (फोलियो संख्या : 0035416) जो ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 04/चतुर्थ वार्षिक आम सभा : (16.09.2017/2017–18)

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अर्न्तनियम के अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), श्री रजनीश कुमार (डी.आई.एन. 07894245) जो ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करते है को श्री शिव सिंह, निदेशक की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुये पद पर एतद्द्वारा कंपनी में निदेशक नियुक्त किये जाते है, जो कि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

श्री अनूप सिंह (फोलियो संख्या : 0035112) जो ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको ''श्रेणी सी'' के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

5. **वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तय करने के लिये विचार एवं अनुमोदन करना।**

श्री गजेन्द्र सिंह (फोलियो संख्या : 0028711) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 05/चतुर्थ वार्षिक आम सभा : 16.09.2017/2017–18

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, गुड़गाँव, हरियाणा जिनका आई.सी.ए.आई. पंजीकरण संख्या–101496 डब्ल्यू है एवं हमारे सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षक हैं, उनको पुनः नियुक्ति वैधानिक अंकेक्षक के रूप में रूपये 7,40,000 (रूपये सात लाख चालीस हजार) वार्षिक पारिश्रमिक एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ चतुर्थ आम सभा की समाप्ति से लेकर पाँचवीं आम सभा की समाप्ति तक पुनः नियुक्त किया जाता है।''

श्री ग्यान बाबू (फोलियो संख्या : 0049422) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

6. **कंपनी के वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना।**

श्री सुशील कुमार चौहान (फोलियो संख्या : 0013252) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 06/चतुर्थ वार्षिक आम सभा : 16.09.2017/2017–18

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581 एस (1) (ए) के प्रावधानों का अनुसारण करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 का बजट, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।''

श्री संदीप कुमार (फोलियो संख्या : 0066752) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

7. **विचारोपरान्त कंपनी के अर्न्तनियामों में संशोधन के लिए मंजूरी देना।**

श्री कप्तान सिंह (फोलिया संख्या : 0010418) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 07/चतुर्थ वार्षिक आम सभा : 16.09.2017/2017–18

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 581-I, 581-ZQ, 581-ZR तथा धारा 31 सहित कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों तथा समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुनः अध्यादेश) के साथ कंपनी बर्हिनियम एवं अर्न्तनियमों के लागू होने वाले वर्तमान कंपनी अर्न्तनियमों को जहाँ तक संभव हो सकें, निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है।

(1) वर्तमान अनुच्छेद 4.3 को रूपान्तरित करके पढ़ा जाए।

4.3 ii इसके अतिरिक्त सदस्यता को जारी रखने के लिए सदस्य योग्य नहीं हैं, यदि

(अ) सदस्य जो किसी भी प्रकार का व्यवसायिक हित रखता हो, जो कंपनी के व्यवसाय के लिए अनुकूल न हो।

(ब) कोई भी सदस्य किसी ऐसे कृत्य में शामिल हो जो कंपनी के व्यापार के लिए हानिकारक है, या जो कंपनी के हित और प्रतिष्ठा को क्षतिग्रस्त कर सकता है।

पुनः निर्णय लिया जाता है कि मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक तथ कंपनी सचिव एतद्द्वारा पृथक रूप से आवश्यक फार्म कंपनी पंजीयक के पास जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, मुद्दों तथा वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिए जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

श्री नेक राम (फोलियो संख्या : 0036184) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

8. अन्य कोई कार्यक्रम नहीं होने के कारण कंपनी की बैठक, अध्यक्ष के आभार के साथ सम्पन्न हुई।

ह./–
महेश चन्द्र
अध्यक्ष
डी.आई.एन. 06965523

तिथि : 9 अक्टूबर, 2017
स्थान : आगरा

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट

आयगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2018–19
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम/दिन	6.05
व्यापार (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद)	रुपये लाखों में	89,875.87
अन्य आय	रुपये लाखों में	297.41
कुल आय	रुपये लाखों मे	90,173.28
(ब) व्यय		
माल की लागत रूपांतरण सहित	रुपये लाखों में	78,020.38
स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत	रुपये लाखों में	11,484.88
कुल व्यय	रुपये लाखों में	89,505.26
कर पूर्व लाभ (अ–ब)	रुपये लाखों में	668.02
	प्रतिशत (%)	0.74

पूँजीगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2018–19
प्रयोगशाला उपकरण	रुपये लाखों में	6.00
सूचना प्रौद्योगिकी विवरण	रुपये लाखों में	3.00
कुल व्यय	रुपये लाखों मे	9.00

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या : | | | | | | | |

सदस्य कोड : | | | | | | | | | | | | | | | | |
(16 अंकों का)

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की बृहस्पतिवार, 13 सितम्बर 2018 को पूर्वान्ह 11:30 बजे होटल रेडिसन ब्लू ताज ईस्ट गेट रोड, आगरा–282001, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली पाँचवीं वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

अंश धारक का नाम :	
प्रतिनिधि (Proxy) का नाम : (यदि प्रतिनिधि बैठक में भाग ले रहा है तो)	

सदस्य/प्रतिनिधि* के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान
* जो लागू नहीं होता है, उसे काट दें।

सहज™ सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form)

फोलियो संख्या : | | | | | | | |

सदस्य कोड :
(16 अंकों का) | | | | | | | | | | | | | | | | |

मैं .... निवासी ....
.... सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का सदस्य
एतद् द्वारा श्री/श्रीमती ....फोलियो संख्या | | | | | | | |
निवासी .... और उनकी अनुपस्थिति में
श्री/श्रीमती ....फोलियो संख्या | | | | | | | |
निवासी .... को कम्पनी की बृहस्पतिवार, 13 सितम्बर, 2018 को पूर्वान्ह 11:30 बजे होटल रेडिसन ब्लू, ताज रोड, आगरा–282001, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली पाँचवीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ।

रु. 1/–
का रेवेन्यू
टिकट

सदस्य के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान

दिनांक : ....

नोट : ध्यान रहे कि प्रॉक्सी फॉर्म को ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में पहुँचना आवश्यक है। प्रॉक्सी को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है।

नोट्स

नोट्स

सहज™

सहज सुदाना अपनाने के फायदे

- BIS मानकों के अनुरूप संतुलित पशु आहार
- स्वस्थ पशु
- दूध के फैट और एस.एन.एफ. में सुधार
- रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि
- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि
- दुग्ध उत्पादन लागत में कमी

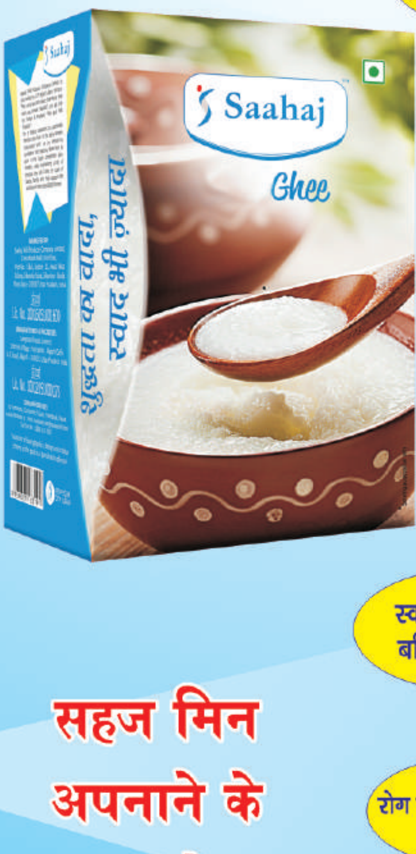

सहज शुद्ध दानेदार देशी घी

सहज मिन अपनाने के फायदे

- पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मृदा संरचना के अनुरूप तैयार किया गया चिलेटेड क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण
- बछिया/पड़िया में बेहतर वृद्धि जिससे कम समय में प्रजनन योग्य
- नर एवं मादा पशुओं की प्रजनन क्षमता में सुधार
- दूध एवं फैट में वृद्धि
- ब्यांत अंतराल में कमी
- रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि
- स्वस्थ नवजात बछिया/पड़िया

बुक–पोस्ट

प्रेषक :

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय :– क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना
सिकन्दरा बोदला रोड, आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

(प्राप्तकर्ता को प्राप्त न होने पर उक्त पते पर वापस भेंजे)